राजभाषा गृह पत्रिका

मंथन

अंक – चतुर्थ

(जनवरी - जून, 2021)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा किए गए निरीक्षण की झलकियां

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा डीएफसीसीआईएल के नोएडा कार्यालय का दिनांक 09.04.2021 को किया गया निरीक्षण

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

प्रधान संरक्षक
श्री रविन्द्र कुमार जैन
प्रबंध निदेशक

मुख्य संरक्षक
श्री हरिमोहन गुप्ता
निदेशक अवसंरचना

संरक्षक
श्री सचिन्द्र मोहन शर्मा
मुख्य राजभाषा अधिकारी

प्रधान संपादक
श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक
श्री जगत सिंह नगरकोटी
वरिष्ठ कार्यकारी/राजभाषा

उप संपादक - श्री राकेश शर्मा
सलाहकार/राजभाषा

संपादकीय सहयोग

- **सुश्री अपर्णा त्रिपाठी**
  महाप्रबंधक/वित्त
- **अमित सक्सेना**
  कार्यालय सहायक / राजभाषा
- **आकाश दीप भारद्वाज**
  कार्यालय सहायक/राजभाषा

(संपादक मंडल का लेखकों के विचारों / रचनाओं से सहमत होना आवश्यक नहीं है एवं प्रकाशित रचनाओं का पूर्णत: उत्तरदायित्व लेखक का होगा)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पंचम तल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली - 110001
फोन नं. 011-23454717,
फैक्स नं. 011-23454700
ई-मेल: yktyagi@dfcc.co.in
jsnagarkoti@dfcc.co.in

पत्रिका "मंथन" चतुर्थ संस्करण

क्र.सं.	विषय-सूची	पृ.सं.
1	प्रबंध निदेशक का संदेश	3
2	निदेशक का संदेश	4
3	मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश	5
4	प्रधान संपादक की कलम से	6
5	संपादक की कलम से	7
6	रेल मंत्री एवं रेल राज्य मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक	8
7	जनवरी 2021 से जून 2021 तक की प्रमुख उपलब्धियां	8
8	बाल श्रम - दिलजीत कुमार	9-10
9	डीएफसीसीआईएल और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005- एक विश्लेषण - सुशांत कुमार पण्डा	11-13
10	धूल - कल्पना सैनी	13
11	तेरे गिरने में तेरी हार नहीं - कार्तिकेय त्रिपाठी	14-15
12	हंसना मना है - सोनिका वर्णवाल	15
13	शिक्षक की सीख - अमृत सिंह चौधरी	16
14	अस्तित्व - प्रेरणा सिंह	17-19
15	कहर-ए- कोरोना-अंशु कालरा	19
16	यादें - वीरेंद्र सिंह चौहान	20
17	" कल निकलेगा उजियारा"- आनंद कुमार मिश्रा	21
18	महत्व- रीतेश राजपूत	22
19	गजल - सत्यदेव सिंह	23
20	बेटियां - प्रयांशु शिव	24
21	समय - अनिकेत	25
22	दिल्ली.. दिल्ली.. दिल्ली.. - गंगाराम कुमार	26
23	"बिछुड़न"- जितेंद्र कुमार	29
24	स्वाध्याय से ज्ञान की ओर - योगेंद्र कुमार त्यागी	30-32
25	हर मर्द एक मुजरिम नहीं होता - जायसी जे जैन	33-34
26	नौकरी पर व्यंग - राहुल कुमार झा	34
27	कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां एवं समाधान - सविता शर्मा	35-36
28	असफलता - शंशाक शेखर	37
29	भारतीय किसान - विकास	37
30	कंधों पर बचपन - जयप्रकाश	38
31	पछतावा-अरविंद साहू, जीवन के दो परिप्रेक्ष्य - कु.आरती	39
32	लॉक-डाउन में शिक्षा- पूनम बिरला	40
33	कोरोना संवाद - राकेश कुमार	41-42
34	सफल बनने से ज्यादा उसूलों के प्रति प्रतिबद्ध रहो - रुना जैन	43
35	लालच का फल - हेमलता सुंद्रियाल	44
36	"विजय" - सौरभ कुमार राय	45
37	मन से करें हिंदी को आत्मसात - राकेश शर्मा	48-49
38	बचपन को ढूंढने बैठी हूं - चित्रा सिंह	50
39	बाधक नहीं समन्वय का माध्यम हो भाषा-आकाशदीप भारद्वाज	51-52
40	मॉरीशस और हिंदी - अमित कुमार सक्सेना	53
41	पर्यावरण ही जीवन है - अंशुल	54
42	प्रकृति की जीवन शैली - गौरीशंकर शर्मा	55
43	कोरोना - सरकार और आम जन-मानस - ईशांत	56-57
44	अपने मां-बाप को बूढ़ा होते देख रही हूँ मैं - हिमानी	58
45	विकास का मूल मंत्र जनसंख्या नियंत्रण- श्याम सुन्दर शर्मा	59-60
46	राजभाषा प्रावधानों को समझें	61

प्रबंध निदेशक का संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा गृह ई-पत्रिका "मंथन" के चतुर्थ अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग एक संवैधानिक अनिवार्यता है। साथ ही यह राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने और राष्ट्र की मजबूती के लिए भी नि:संदेह बेहद जरूरी है। भारत जैसे विशाल देश जिसमें यह कहावत प्रचलित है कि "घाट-घाट पर पानी बदले, कोस-कोस पर वाणी" ऐसे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी भाषा ही अपनी अहम भूमिका अदा करती है। डीएफसीसीआईएल हिंदी की संवैधानिक अपेक्षाओं एवं राष्ट्रीय एकीकरण में इसे महत्वपूर्ण समझता है और सदैव प्रयासरत रहता है कि अधिकाधिक कार्य हिंदी में किया जाए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और अपने अन्य कार्यों के निष्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित करें। संगठन तथा राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दें।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि गृह पत्रिका "मंथन" का यह अंक हिंदी में कार्य करने, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रचारित करने तथा हिंदी के कार्य को विस्तार देने के लिए डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करेगा। ई-पत्रिका के चतुर्थ अंक की सफलता एवं प्रकाशन की शुभकामनाओं के साथ पत्रिका के संरक्षक, संपादक मंडल एवं लेखकों को भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कोरोना से बचें साथ ही अपने परिवार और स्वयं को सुरक्षित रखें।

आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ,

(आर.के.जैन)

निदेशक का संदेश

डीएफसीसीआईएल में राजभाषा का कार्य संभालने के बाद कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा गृह पत्रिका "मंथन" का यह मेरा पहला अंक है। हिंदी प्रभार प्राप्त होने के बाद मुझे हिंदी की कार्य-व्यवस्था को और ज्यादा समीप से समझने का अवसर मिला है। मैंने पाया कि राजभाषा से संबंधित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सभी के प्रयासों से यह संभव होगा। यह पत्रिका भी इस दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगी और ज्ञानवर्धन का अपना उदेश्य भी पूरा करेगी।

हमारे संविधान ने हिंदी को सरकार एवं उसके संस्थानों की काम-काज की भाषा के रूप में स्थापित किया है। अत: हम सभी का भी पुनीत दायित्व है कि हम अपना काम-काज पूर्णत: हिंदी या द्विभाषिक रूप में करें। खुशी की बात है कि हमारे लगभग सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी जानते हैं। हिन्दी में काम करना कठिन भी नहीं है। ज़रूरत है कि हम सभी अपना कार्य हिंदी में प्रारंभ करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा नियमों का अनुपालन करने में और अधिक सक्रियता बरती जायेगी। यह पत्रिका अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए अधिक सक्षम बनाएगी और उन्हें अधिकाधिक काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करेगी।

हमें अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने की आवश्यकता है। सभी कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णत: पालन करें। मैंने इस सिलसिले में क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी मुख्य महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर भी हिंदी को गति देने के लिए अनुरोध किया है। मैं पुन: दोहराउंगा कि आप सभी राजभाषा नियमों का पालन करें।

मैं पत्रिका में लेख, कविता, व्यंग आदि भेजने वाले सभी लेखकों, पत्रिका के संरक्षक और संपादक मंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

हरिमोहन

(हरि मोहन गुप्ता)
निदेशक / अवसंरचना

मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश

राजभाषा गृह पत्रिका "मंथन" के पाठकों को मेरा नमस्कार।

मुझे अत्यधिक हर्ष है कि पूर्व की भांति डीएफसीसीआईएल राजभाषा गृह पत्रिका "मंथन" के "चतुर्थ" अंक के लिए भी पाठकों ने अपनी रचनाएं व लेख बड़ी संख्या में भेजकर अपना प्यार प्रदर्शित किया है। संपादक मंडल की पारखी नजरों से गुजरने के बाद बहुत सारी रचनाओं व लेखों को इस अंक में आप सभी सुधी पाठकों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि आप सभी इस अंक में प्रकाशित ज्ञानवर्धक लेखों, रचनाओं से लाभान्वित होंगे।

चूंकि हिंदी को "राजभाषा" होने का सम्मान प्राप्त है और यह भाषा हमारे कामकाज व अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार, राजभाषा नीति के अनुपालन के साथ हिंदी को कामकाज में भी अधिकाधिक प्रयोग में लाएं। हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे अधिकारी व कर्मचारी बिना झिझक स्व-प्रेरित होकर हिंदी में कार्य करने में गर्व महसूस करें। डीएफसीसीआईएल वर्तमान में नित नए प्रयोग कर अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भविष्य में भी नए प्रयोगों के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार व प्रयोग के लिए हम और बेहतर प्रयास करेंगे।

राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए हमने पुरस्कार योजना भी लागू की हैं जिसकी जानकारी सभी को दी गई है। मेरा आप से आग्रह होगा कि आप हिंदी में अधिकाधिक कार्य करें और इस पुरस्कार योजना का भी लाभ उठाएं।

किसी भी पत्रिका की सफलता के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छे लेखों का प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। अत: मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि भविष्य में जब भी हम इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए लेख मांगें तो आप अपने स्तरीय लेख अवश्य प्रेषित करें। आपके उच्च स्तरीय लेखों से ही यह पत्रिका उपयोगी और सुन्दर बन पाएगी। आप इस पत्रिका को पढ़ें और इसको बेहतर बनाने की दिशा में यदि कोई सुझाव हों तो हमसे जरूर साझा करें। हम उनका स्वागत करेंगे।

जय हिंद, जय हिंदी

शुभकामनाओं सहित,

(सचिंद्र मोहन शर्मा)
मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं समूह महाप्रबंधक/यांत्रिक

प्रधान संपादक की कलम से

राजभाषा गृह पत्रिका के पाठकों को मेरा सादर हार्दिक नमन ।

डीएफसीसीआईएल राजभाषा पत्रिका "मंथन" का चतुर्थ अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। इससे पूर्व भी तीन अंक सफलता-पूर्वक प्रकाशित हो चुके हैं। हर बार पाठक पत्रिका के प्रति अपना प्यार बढ़-चढ़ कर प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस अंक को भी पूर्व की भांति आपका भरपूर स्नेह व प्यार मिलेगा।

यह अंक कुछ नए क्लेवर व नए प्रयोगों के साथ प्रकाशित किया गया है। इस अंक में हास्य-व्यंग, राजभाषा नियम सहित कॉर्पोरेट कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लेखों आदि को शामिल कर सुन्दर व आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। मेरी और संपादक मंडल टीम की पूरी कोशिश रही है कि इस अंक में मनोरंजन के साथ आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके। हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए हिंदी शब्दावली एवं अन्य राजभाषा संबंधी प्रावधानों को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है जिससे कि डीएफसीसीआईएल के अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना उत्साह पूर्वक योगदान दे सकें।

मेरा अनुरोध है कि हिंदी को केवल आवश्यकता समझ कर ही कार्य न करें अपितु इसे अपना कर्तव्य व संवैधानिक जिम्मेदारी समझकर इसके प्रचार-प्रसार में भी अपना सकारात्मक योगदान दें। आप स्वयं भी इस पत्रिका को पढ़ें एवं अपने परिचितों को भी इससे लाभान्वित कराएं, साथ ही इसमें सुधार के लिए भी आवश्यक सुझाव अवश्य दें। आपके सुझावों की संपादक मंडल को प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

(योगेन्द्र कुमार त्यागी)
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं अपर महाप्रबंधक/सेमू

संपादक की कलम से

आपके सामने राजभाषा मंथन का चतुर्थ अंक प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। इस अंक को बेहद रुचिकर व ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि यह अंक आपको बहुत पंसद आएगा। इस अंक के संबंध में आपके सुझावों व प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपके कीमती सुझाव ही हमें आगामी अंक को और बेहतर बनाने की ओर प्रेरित करेंगे। पाठकों से विनम्र अपील है कि आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

हम तो हमेशा से ही इस अंक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा अंक कितना बेहतर है यह हमारे पाठक ही तय करेंगे। इस अंक में डीएफसीसीआईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लेख, व्यंग, कविताएं आदि प्रकाशित की गई हैं। आशा है कि यह आपको पसंद आएंगी। सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे पत्रिका को पढ़ने के बाद अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य भेजें ताकि आवश्यक सुधार के साथ आगामी अंक को और अधिक रुचिकर बनाया जा सके।

शुभकामनाओं के साथ,

(जगतसिंह नगरकोटी)
वरिष्ठ कार्यकारी / राजभाषा

वर्ष के दौरान डीएफसीसीआईएल की प्रमुख उपलब्धियां

माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव

माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने दिनांक 31.07.2021 को डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक श्री आर. के. जैन के साथ डीएफसीसीआईएल के कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। प्रबंध निदेशक ने डीएफसीसीआईएल के कार्यों की समग्र जानकारी दी और प्रजेटेंशन भी प्रस्तुत किया। रेल मंत्री श्री वैष्णव जी ने बड़े गौर से डीएफसीसीआईएल के कार्यों को समझा और लंबित कार्यों के निष्पादन में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दादाराव दानवे ने 13.07.2021 एवं 14.07.2021 को डीएफसीसीआईएल के कार्यों की समीक्षा की। प्रबंध निदेशक श्री आर.के. जैन ने डीएफसीसीआईएल के कार्यों की प्रगति के बारे में प्रजेंटेशन दिया तथा परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने डीएफसीसीआईएल द्वारा अपने कार्यों को समय से पूरा करने के प्रयासों की सराहना की और अपेक्षित सहयोग का आश्वासन दिया।

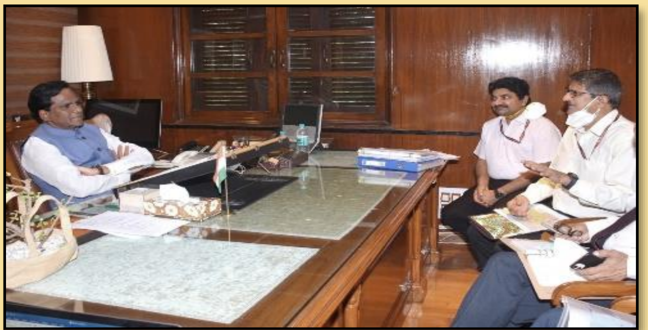

रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दादाराव दानवे डीएसीसीसीआईएल के प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए, इस दौरान श्री रविंद्र कुमार जैन प्रबंध निदेशक एवं श्री हरि मोहन गुप्ता, निदेशक / अवसंरचना

- **जून 2021 -** पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी (मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात से कॉनकोर काठूवास एमएमएलपी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक) का ट्रायल रन दि. 20.06.2021 को न्यू पालनपुर से न्यू किशनगंज के बीच ट्रैक लिंकिंग के पूरा होने के बाद किया गया।
- **जून 2021** - न्यू मारवाड़ (राजस्थान) - न्यू पालनपुर (गुजरात) में पहली मालगाड़ी दि. 18.06.2021 को संचालित की गई। अब तीनों सीमेंट उत्पादक साइड मेसर्स श्री सीमेंट, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट एवं मैसर्स बिनानी सीमेंट पश्चिमी डीएफसी से जुड़ गए हैं।
- **जून 2021 -** डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (डीएफसी) की प्रभावशीलता को प्रमाणित करते हुए न्यू रेवाड़ी न्यू फुलेरा तक वाहनों तथा उपकरणों के साथ एक सैन्य मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया।
- **अप्रैल 2021** - डीएफसी पर मालगाड़ी 99.30 किमी प्रति घंटे की औसत गति से संचालित हुई जो राजधानी गाड़ियों की गति की तुलना में काफी अधिक है। पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के 351 किलोमीटर के न्यू खुर्जा - न्यू भाऊपुर सेक्शन पर यह उपलब्धि प्राप्त की गई।
- **मार्च 2021-** पूर्वी डीएफसी के गंजख्वाजा - चिरेलपथु सेक्शन (100 किमी) में दि. 31.03.2021 को विद्युत लोकोमोटिव का सफल परीक्षण किया गया एवं पश्चिमी डीएफसी के मदार - न्यू पालनपुर सेक्शन (353 किमी) में दि. 31.03.2021 को मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण संचालित किया गया।
- **जनवरी 2021** - माननीय प्रधानमंत्री ने 07.01.2021 को पश्चिमी डीएफसी के 306 किलोमीटर के रेवाड़ी - मदार विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली एवं न्यू किशनगढ़ स्टेशन से डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर मालगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

बाल-श्रम

दिलजीत कुमार,
कार्यकारी विद्युत,
गया

बालश्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह एक वैश्विक चुनौती है। अलग-अलग देशों द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों द्वारा जारी रिपोर्ट-

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल 1520 लाख बच्चों में से 730 लाख बच्चे खतरनाक श्रम करते हैं। खतरनाक श्रम में मैनुअल सफाई, निर्माण, कृषि, खदानों, कारखानों तथा फेरी वाला एवं घरेलू सहायक आदि के रूप में काम करना शामिल है। आईएलओ के अनुसार इस तरह के श्रम बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक विकास को खतरे में डालते हैं। इसके कारण बच्चे अपना सामान्य बचपन और उचित शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। खतरनाक श्रम के कारण दुनिया भर में लगभग 450 लाख लड़के और 280 लाख लड़कियां प्रभावित हैं। हाल के वर्षों में खतरनाक श्रम में शामिल पांच से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या बढ़कर 190 लाख हो गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसर 5410 लाख युवा श्रमिकों (15 से 24 वर्ष) में 370 लाख बच्चे हैं जो खतरनाक बाल-श्रम का काम करते हैं। यह विश्व के कुल क्षमता का 15 प्रतिशत है। इन श्रमिकों को कार्य के दौरान अन्य श्रमिकों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक घातक चोटें लगती हैं।

भारत में बाल-श्रम का अस्तित्व: जर्मन विद्वान मैक्स मूलन ने कहा है कि - पश्चिम में बच्चे दायित्व समझे जाते हैं लेकिन पूर्व में बच्चे संपत्ति समझे जाते हैं। यह कथन भारत के संदर्भ में शत-प्रतिशत सत्य है। भारत में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता रहा है। परंतु वर्तमान परिदृश्य इस सोच से काफी भिन्न है। बच्चों का भविष्य अंधकार मय होता जा रहा है। गरीब बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, पढ़ने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पहल इस दिशा में सराहनीय रही है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं का आरंभ किया गया है, जिससे बच्चों के जीवन व उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे।

बाल-श्रम और भारतीय संविधान: संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य नीति-निर्देशक सिद्वांतों की विभिन्न धाराओं द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाता है। बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, उनमें प्रमुख है:

- बाल-श्रम (निषेध व अधिनियम) कानून 1986- यह कानून 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी अवैध पेशे और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। मुख्यत: निम्न अधिसूचित क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है-

  बीड़ी बनाना, तंबाकू प्रसंस्करण
  सीमेंट कारखाने में सीमेंट बनाना या थैले में भरना
  कपड़ा बुनाई, छपाई या रंगाई
  माचिस पटाखे या बारूद बनाना
  चमड़ा या लाख बनाना
  साबुन बनाना

मकान, सड़क वाहन आदि बनाना
स्लेट पेंसिल बनाना व पैक करना
मोटर गाड़ी वर्कशॉप व गैरेज
ईट भट्टा व खपरैल
अगरबत्ती बनाना
ऑटो-मोबाइल मरम्मत
जूट कपड़ा बनाना
गुमेद की वस्तुएं बनाना
कांच का सामान बनाना

- फैक्ट्री कानून 1948- यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन में निषिद्ध करता है। 15-18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए श्रम मंत्रालय की अभिसरण रणनीति:

- बाल श्रम के मूल कारण के रूप में गरीबी और निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास के संपूरक के रूप में उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास का अनुसरण कर रही है।
- काम से छुड़ाए गए बच्चों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आश्रय गृह आदि योजनाओं के जरिए उनकी सहायता की गई।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कूल के बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पुस्तक आदि की आपूर्ति और एन.सी.एल.पी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से इस मंत्रालय के संपूरक प्रयासों के रूप में विविधि सकारात्मक सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं।
- राज्य श्रम विभाग से प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी को मानव तस्करी विरोध यूनिट (ए.एच.टी.यू) के समान उस राज्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वयन के लिए संयोजक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, ताकि राज्य में बच्चों की तस्करी की रोकथाम की जा सके।

भारत में कुछ सक्रिय एन.जी.ओ
चाइल्ड राइट्स एंड यू (सी.आर.आई)
चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन
बचपन बचाओ आंदोलन
उदय फाउडेशन
प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन

व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिक की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसके प्रति हमें जागरुक होना चाहिए तथा इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिए। बाल श्रम की समस्या के निदान के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक है, ताकि लोग अपने निहित स्वार्थी के लिए देश के इन भावी निर्माताओं व कर्णधारों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह न लग सकें।

डीएफसीसीआईएल और "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005"- एक विश्लेषण

सुशांत कुमार पण्डा,
संयुक्त महाप्रबंधक / मानव संसाधन
कॉर्पोरेट कार्यालय

पहले से ही स्थापित संगठन को बदलती हुई परिस्थितियों को स्वयं में ढालने में किसी नए संगठन की तुलना में ज्यादा कठिनता का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पूरी प्रक्रियाएं नई होती हैं। और इन्हें नई व्यवस्था में अपने मौजूदा कार्यों के साथ-साथ उसे भी अपनी नई प्रणाली में समाहित किया जाता है, जबकि पहले से स्थापित प्रणाली में अपनी पहले से चल रही पूरी कार्य-व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है। डीएफसीसीआईएल के गठन से पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अस्तित्व में आ चुका था और डीएफसीसीआईएल को इस अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों को लागू करने में कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। डीएफसीसीआईएल ने इस नए अधिनियम के अनुकूल अपने आप को बड़ी सहजता से ढाल लिया तथा यह बड़ी कुशलता से सूचना प्राप्त करने वालों तथा सांविधिक प्राधिकरण सीआईसी की अपेक्षाओं में भी खरा उतर पाया। एक-दो अवसरों पर डीएफसीसीआईएल द्वारा अपनाई गई उस डाक्यूमेंटेशन पद्धति की सराहना भी की जिसके द्वारा यह अपने कार्यों मामलों को निपटाता है और इसके कार्यों को निपटाने की दर किसी भी समय 95 से ज्यादा है। यद्यपि अभी इसका पूरी तरह विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है और आज की तारीख तक आंशिक तौर पर यह E-Governed है। सीपीआईओ के कार्यालयों में अपनाई जाने वाली, रिकॉर्डिंग तथा रजिस्ट्रेशन की पद्धति की भी विभिन्न सुनवाई के अवसरों पर सराहना हुई है। प्रारंभिक दिनों में भूमि के अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंधित मामलों के बारे में आरटीआई के आवेदन प्राप्त होते थे और इन मामलों को जन-शिकायत शाखा द्वारा देखा जाता था। बाद में 2012 में प्रशासन के अंतर्गत उप महाप्रबंधक / आरटीआई के अधीन इसके लिए एक पूर्ण शाखा बनाई गई। धीरे-धीरे टेंडर, खरीद, वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के मामलों के बारे में भी बड़ी संख्या में आरटीआई के आवेदन पत्र प्राप्त होने लगे तथा कर्मचारियों से भी बड़ी संख्या में आरटीआई के आवेदन पत्र प्राप्त होने लगे, यद्यपि एक सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर हमने अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया तथा नागरिकों को मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध कराई। इसके प्रभावी कार्य निष्पादन का आंकलन इसी बात से किया जा सकता है कि केवल 1.7% मामलों में सीआईसी में अपील दायर की गई। इसकी स्थापना से अब तक डील किए गए 3273 (20.10.2019 तक) मामलों में केवल 41 मामलों में ही अपील की गई। 2007 में इसकी स्थापना से डीएफसीसीआईएल के कार्यकलापों में तेजी से विस्तार हुआ है। तदनुसार, आरटीआई आवेदनों की संख्या भी बढ़ी है। अब पहले की तरह वर्ष के दौरान 40-50 आरटीआई मामले नहीं आते। वर्ष 2018 में 705 आरटीआई के मामले और मासिक औसत संख्या 60 थी। यह संख्या बढ़कर 782

हो गई। (2010-19) अब मुख्यत: सेवा के मामलों, जिसमें वेतन, भत्ते तथा भर्ती के मामले शामिल हैं, के बारे में आरटीआई के आवेदन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, अब सीजीएम/सीजीएम कार्यालयों में भूमि के अधिग्रहण / क्षतिपूर्ति तथा सिविल इंजीनियरी के मामलों में आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि डीएफसीसीआईएल कार्यालय में आरटीआई के निपटान की केंद्रीकृत व्यवस्था है, जहां पूरे संगठन के लिए एक ही सीपीआईओ नामित किया गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर मामलों को बड़ी सुगमता से निपटाया जाता है। उप महाप्रबंधक / प्रशासन को सीपीआई को नामित किया गया है। वह आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत परियोजना कार्यालयों के 14 एपीआईओ को तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के 4 नामित एपीआईओ जो पीआईओ के रूप में काम करते हैं, द्वारा उसकी सहायता की जाती है। चूंकि सीपीआईओ के पास कोई रिकार्ड नहीं होता है, इसलिए वह सीपीआईओ की बजाय नोडल अधिकारी के रूप में ही कार्य करता है और वह आरटीआई के आवेदनों को कॉर्पोरेट कार्यालय तथा देश भर में अलग-अलग स्थानों पर मुख्यत: देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में स्थित फील्ड कार्यालयों को भेजता है, जहां रिकार्ड होता है, वहां से सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना की जांच करता है तथा उत्तर से संतुष्ट हो जाने के बाद वह आवेदक को भेजता है, यदि उसके पास उत्तर प्राप्त होने में विलंब होता है तो वह अनुस्मारक भेजता है तथा विलंब होने के लिए आवेदन को भी उत्तर भेजने में विलंब होने के लिए खेद व्यक्त करते हुए अन्तरिम उत्तर भेजता है।

हाल में, डीएफसीसीआईएल आरटीआई ऑन-लाइन पोर्टल से कनेक्ट हो गया है और 2018 में लगभग 60 प्रतिशत आवेदन इस पोर्टल पर प्राप्त हुए जो 2019 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है और संबंधित विभागों / कार्यालयों से सूचना प्राप्त करके इनका ऑन-लाइन ही उत्तर दिया जाता है, इसी प्रकार अपील के मामलों में भी कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित विभाग/ कार्यालय से अपेक्षित सूचना मंगाकर उनका भी उत्तर दिया जाता है। आरटीआई के अपील के मामलों में डीएफसीसीआईएल में अपीलीय प्राधिकारी नामित है जो आवेदकों को भेजे गए उत्तर की जांच करते हैं तथा सही स्थिति से आवेदन को सूचित करते हैं। यदि आवेदक उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो वह सीआईसी में अपनी दूसरी अपील करता है। सीआईसी- नोटिस भेजती है, जिसमें सुनवाई की तारीख, स्थान तथा समय दिया गया होता है।

साथ ही यह भी बताया गया होता है कि आवेदक किस बात से अंतुष्ट है। नोटिस प्राप्त होने पर सीपीआईओ यदि संभव होता है तो सीआईसी को उत्तर भेजता है और जहां आवश्यक होता है वह पार्टी शाखा को अपना प्रतिनिधि-भेजने या अपना पक्ष बताते हुए नया उत्तर भेजने के लिए कहता है। सीपीआई हर हालत में सुनवाई में जाता है तथा अपना पक्ष सीआईसी के समक्ष रखता है। या उनका निर्णय स्वीकार करता है, तत्पश्चात सीपीआईओ, सीआईसी के आदेश को अनुपालन के लिए संबंधित शाखा को भेजता है। आज की तारीख तक 39 मामलों में सीआईसी के आदेशों का पालन किया गया है।

सीपीआईओ मानव संसाधन के ट्रेनिंग शाखा के सहयोग

से कार्यालय में या बाहर भी, ट्रेनिंग / वर्कशॉप आयोजित करते हैं, इसके अलावा, जब कभी और जहां कहीं संभव होता है अलग-अलग कर्मचारियों को भी आरटीआई की ट्रेनिंग दिलाई जाती है, अब तक कर्मचारियों के लिए 9-10 ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए गए हैं और 112 कर्मचारियों ने इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों / वर्कशॉपों में हिस्सा लिया है। प्रशासन को आरटीआई के मामलों को डील करने में मुख्य रूप से जो कठिनाई आती है वह रिकार्ड को सही ढंग से न रखे जाने, केंद्रीकृत प्रणाली होने के कारण पर्याप्त संख्या में सीआईओ नामित न होने, आरटीआई के मामलों का निपटान के लिए परियोजना कार्यालयों / विभागों का ऑन-लाइन लिंक न होना तथा आरटीआई ऑडिट न किया गया होना है। प्रगतिशील प्रशासन ने केवल समस्याओं के होने पर उनके समाधान के लिए, बल्कि समस्याओं के होने से पूर्व ही उनको समझ कर कार्रवाई करने में समर्थ रहता है ताकि समस्या आए न। जरूरी है कि अपने कार्य में पारदर्शिता बरती जाए, कोई मामला सामने आने पर सकारात्मकता तथा सक्रियता से कार्रवाई की जाए। प्रत्येक कार्य में जबावदेही तय की जाए। भविष्य में हमारे काम के विस्तार के साथ-साथ आरटीआई के मामलों में भी भारी वृद्वि होने की संभावना है। हमें अधिक सजगता अपनानी होगी।

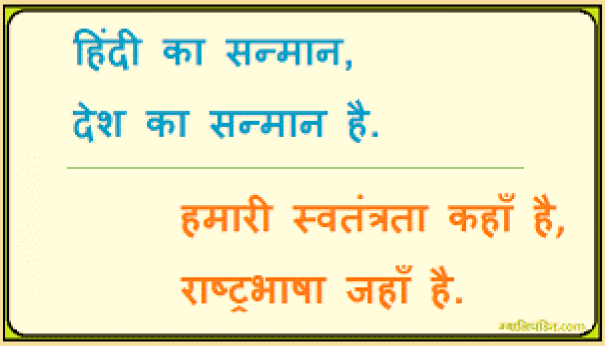

कल्पना सैनी
कार्यकारी/वित्त,अहमदाबाद

धूल

जब जमा होने लगे खुद की समझ पर,
और यदि इसे वक्त रहते साफ न किया जाए,
तो यह फैल जाती है पवित्र अन्त:मन की गहराई तक...

मैले हो जाते हैं तब, मन के सब विचार,
और जबान के शब्द...
नजर तो तेज होती है पर धुंधला जाता है,
देखने का नजरिया...

और तब सबके चेहरे दिखते हैं उसे मैले,
अगली बार यदि, तुम्हे भी दिखाई दे
दूसरों में कमियां, तो सोचना सौ बार
टिप्पणी करने से पहले...

अपने ही विचारों पर, अपनी ही सोच पर
अपने ही नजरिए पर,
कही जमा तो नहीं हो गई
धूल...

" प्रकृति सभी की आवश्यकता पूरी सकती लेकिन किसी का लालच नहीं" - महात्मा गांधी

तेरे गिरने में तेरी हार नहीं

कार्तिकेय त्रिपाठी
कनिष्ठ कार्यकारी / विद्युत,
जयपुर

तेरे गिरने में तेरी हार नहीं
तू आदमी है, अवतार नहीं
गिर, उठ, चल, दौड़ फिर भाग क्योंकि
जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं

प्रशिक्षण सिर्फ चार वर्णों का हैं परंतु यह मनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू को अर्थ प्रदान करता है। नैतिक व व्यावहारिक मूल्य पैदा करता है, जिससे उसकी पूर्ण दक्षता, कार्य रूप में परिणित हो पाती है। मनुष्य शब्द भी अपने आप में कई अर्थ, विचार तथा अनुभव लिए हुए होता है। जब वह पैदा होता है, तो कोरी किताब की तरह होता है। जिस पर उसके माता-पिता समाज, शिक्षा का परिवेश, व्यावहारिक जीवन कुछ ऐसी छाप छोड़ देते हैं जो उसके संपूर्ण जीवन को आधार व मार्गदर्शन प्रदान करता है।

व्यक्ति अपने जीवन की पहली शिक्षा तथा प्रशिक्षण अपने परिवार से प्राप्त करता है। शिक्षा और प्रशिक्षण में अगर अंतर करें तो एक वाक्य में उसका व्यापक अर्थ समेटा जा सकता है। जो यह है कि शिक्षा संज्ञानात्मक पहलू को आकार देती है और प्रशिक्षण आपके व्यावहारिक पहलू को सुदृढ़ करता है। माता-पिता से वह स्नेह त्याग कर्तव्य की शिक्षा लेता है, परंतु जब वह स्वयं परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए कुछ करता है, त्याग-स्नेह दिखाता है तब सही मायने में इन्हें सीखता है। यही स्वयं का करना उसके जीवन का पहला प्रशिक्षण होता है। सामाजिक तौर पर भी वह कई चीजों के बारे में सुनता है एवं देखता है, परंतु जब स्वयं किसी मित्र के साथ मिलकर कार्य करता है, शिक्षक की कही गई बातें जब उसके जीवन में घटित होती है, तब वह जैसा व्यवहार करता है, वह व्यवहार उसकी शिक्षा के साथ उसके अनुभवों पर ज्यादा निर्भर होता है और वह अनुभव प्रशिक्षण से आता है। वही जीवन की एक अहम सीख है। अतः कहा जा सकता है कि-

"अभ्यास तथा अनुभव प्रशिक्षण का सार है।"

जो व्यक्ति प्रकृति से सीखता है, वह है-

परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति की यह सीख कि प्रत्येक वस्तु एक दिन बदलेगी एवं परिवर्तित होगी यह सिर्फ किताबों से उसने नहीं सीखी बल्कि स्वयं जीवन में मिलने वाली सीखें व प्रशिक्षण, जो मौसम परिवर्तन कर प्रकृति ने जीवन की स्थिर सी लगने वाली समस्याओं ने जाते वक्त में एक नई सीख देकर सिखायी।

प्रशिक्षण दो प्रकार का होता है एक आंतरिक व दूसरा बाहरी। ऊपर लिखी प्रत्येक बात आंतरिक प्रशिक्षण के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं क्योंकि इससे व्यक्ति की अंत:करण की स्थिति मजबूत होती है और वह बाहरी प्रशिक्षण के लिए तैयार होता है। अगर उसने परिवार से आदर व कर्तव्य के गुण तथा समाज से समूह कार्य तथा सहनशीलता न सीखी होती तो वह भविष्य में एक टीम के साथ कार्य तथा अपने प्रशिक्षकों का आदर नहीं कर पाता और जीवन में उसे कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ता। आंतरिक प्रशिक्षण की बात तो हो गई परंतु बाहरी प्रशिक्षण जो आज देश समाज तथा व्यक्तिगत रूप से काफी महत्वपूर्ण है, उसकी बात की जाए।

आज यदि हम अपने विचार किसी के समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो भी वह सिर्फ इस कारण कि कहीं न कहीं से हमने अब आत्मविश्वास से अपनी बात कहने का प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण व्यक्ति की शिक्षा का उसके लिए तथा

संबंधित प्राधिकरण के लिए बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। एक तकनीकी पेशवर सिर्फ किताब के ज्ञान से मशीन पर कार्य नहीं कर सकता। उसकी इस पेशे से संबंधित शिक्षा को व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए उसे मशीन पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसी प्रकार एक सरकारी सेवक दोनों ही नजरिए से प्रशिक्षण प्राप्त करता है। चाहे वह लोक कल्याण के लिए नैतिक सुविधा का समाधान हो या जमीनी हकीकतों के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना। कहते हैं न कि मैने पढ़ा, पर भूल गया, मैंने देखा, पर याद रखा, परंतु जब मैने उसे किया, तो मैने उसे सीख लिया। किसी भी रोजगार में काम करना आपकी उपस्थिति दर्ज करा रहा है परंतु यदि आपको आपके नियोक्ता द्वारा आगे आने वाली नई चीजों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो आप की दक्षता में निरंतर वृद्धि होती है।

प्रत्येक व्यक्ति के पास गुण होता है, क्षमता होती है, परंतु जब तक उसे उन गुणों तथा उन क्षमता का उपयोग करना न सिखाया जाए तब तक वह सब व्यर्थ है। शिक्षा आपके लिए साधन का कार्य करती है। विकास के साध्य को साधना केवल प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है। प्रशिक्षण केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही विकास प्रदान नहीं करता, इसके विपरीत एक गरीब, अशिक्षित व्यक्ति को भी एक ऐसा रोजगार दिला सकता है, जो उसकी आजीविका के लिए आवश्यक होता है। प्रशिक्षण व्यक्ति की क्षमता को दक्षता में परिवर्तित करता है। मौजूदा अवसरों का उपयोग तथा नए अवसर प्रदान करने में सहायता करता है।

अंतर्मन की अभिप्रेरणा को बस एक उत्प्रेरक मत बनने दो, बल्कि प्रशिक्षण की सहायता से इसमें गुणोत्तर वृद्धि कर सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति करो।

पत्थर को कोई मूल्य नहीं, जब तक उसे तराशा न जाए
ठीक उसी प्रकार क्षमता का कोई मूल्य नहीं, जब तक उसे प्रशिक्षित न किया जाए।

सोनिका बर्णवाल पत्नी मुकेश कुमार बर्णवाल, कोलकाता

हंसना मना है

टीचर- बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान
से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है।
स्टूडेंट- रहने दो सर, अगर ऐसा ही होता तो
आप मेरे सर नहीं,ससुर होते

पप्पू- कुछ ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही
तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे
दुकानदार- साहब हमारे यहां भैंस का दूध
आता है नागिन का नहीं

पार्टी में मॉर्डन लड़की से हंस-हंस कर बातें
कर रहे पति के पास पत्नी आई और
बोली... चलिए, घर चल कर
मैं आपकी चोट पर मरहम लगा दूँ।
पति: पर मुझे चोट कहाँ लगी है ?
पत्नी: अभी हम घर भी कहां पहुंचे हैं ?

शिक्षक की सीख

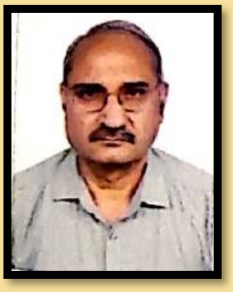

अमृत सिंह चौधरी,
परियोजना प्रबंधक / वित्त,
कोलकाता

एक बड़े उद्योगपति सरकारी शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। "देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस तरह से आपके संस्थान चलते हैं यदि में ऐसा करता तो अब तक मेरा बिजनेस डूब चुका होता।" चेहरे पर सफलता का दर्प साफ दिखाई दे रहा था। "समझिए! आपको बदलना होगा, आपके राजकीय संस्थानों को बदलना होगा, आप लोग आउटडेटेड पैटर्न पर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या आप शिक्षक स्वयं हैं, जो किसी भी परिवर्तन के विरोध में रहते हैं"।
प्योर अंग्रेजी में चला उनका भाषण समाप्त हुआ..
तो प्रश्न पूछने के लिए एक शिक्षिका का हाथ खड़ा था..।

"सर आप दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। एक जिज्ञासा थी कि आप कॉफी के बीज कैसे खरीदते हैं? उद्योगपति का गर्व भरा जवाब था, "एकदम सुपर प्रीमियम, कोई समझौता नहीं।
शिक्षिका ने फिर पूछा "अच्छा मान लीजिए आपके पास जो माल भेजा जाए उसमें काफी के बीज घटिया क्वालिटी के हों तो.. ?
उद्योगपति:-
सवाल ही नहीं! हम उसे तुरंत वापस भेज देंगे। वेंडर कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, हम उससे अपना करार रद्द कर सकते हैं। कॉफी के बीज चयन के हमारे बहुत सख्त मापदंड है, इसी कारण हमारी काफी की प्रसिद्धि है। " आत्मविश्वास से भरे उद्योगपति का लगभग संचालित उत्तर था"।
शिक्षिका:-
"अच्छा है! अब हमें यूं समझिए कि हमारे पास रंग-स्वाद और गुण में अत्यधिक विभिन्नता के बीज आते हैं, लेकिन हम अपने कॉफी के बीज वापस नहीं भेजते।
हमारे यहां सब तरह के बच्चे आते हैं। अमीर-गरीब, होशियार, कमजोर, गांव के शहर के, चप्पल, जूते वाले, हिंदी वाले माध्यम के, अंग्रेजी वाले माध्यम के, शांत बिगड़ैल...सब तरह के। हम उनके अवगुण देखकर उनको निकाल नहीं देते।
सबको लेते हैं,
सबको पढ़ाते हैं,
सबको बनाते हैं...
"...क्योंकि सर हम उद्योगपति नहीं, शिक्षक हैं। आज भी सबसे शांत चित्त वर्ग यही है। पता है क्यों, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, अगर वह विचलित होगा तो पुनर्निमाण संभव नहीं है"।
सभी शिक्षक वर्ग को सादर समर्पित!!!

अस्तित्व

प्रेरणा सिंह
पत्नी श्री अंशुल कुमार
वरिष्ठ कार्यकारी/सिग.एवं दूर./मेरठ

आज उसका आठवां जन्मदिन था शहर से बड़े पापा का बेटा सनी उसके लिए गिफ्ट लाने वाला था, वादा जो किया था। सनी भैया फेवरेट है राहुल के, बड़े शहर में जो रहते हैं। फैंसी कपड़े, घड़ी जूते, मोबाइल और भैया का खुशबू वाला डियो हमेशा ही राहुल के मन को भा जाता। एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल हमेशा ही सनी भैया के जैसे बनने का ख्वाब आंखों में लिए रहता। अपनी मां को बोलता जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सनी भैया की तरह खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब घूमूंगा और जो चाहे वह लूंगा। मां बोली हां बेटा पर पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले सनी भैया भी तो तभी बाहर गए थे जब पढ़ाई पूरी कर ली। राहुल ने हां में सिर हिला दिया और किताब लेकर बैठ गया। पढ़ने पर राहुल का मन कहां लगता था उसे तो शौक था कार्टून बनाना और उन में रंग भरना पर चकाचौंध वाले ख्वाब इससे कहां पूरे होने थे। राहुल के पिता गांव में एक छोटी से दुकान चलाते थे किसी तरह घर का गुजारा चलता था। उसके पिता का सपना था कि बस राहुल पढ़ लिखकर बाहर नौकरी पा जाए तो घर की हालत सुधर जाए। राहुल ने भी अपनी ख्वाहिशों और हुनर के बीच उठापोह में ख्वाहिश को चुना और लग गया तैयारी करने। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल को शहर में एक कंपनी में नोकरी मिल गई। कंपनी में नया था ज्यादा काम और वर्किंग कल्चर नहीं जानता था, न ही इससे पहले किसी ने कभी इस बारे में अपना कोई अनुभव उस से साझा किया था। राहुल से सब यही बोलते मन लगाकर काम करना, सब सीख जाओगे, राहुल भी आगे बढ़ने की होड़ में एक-एक करके सारे काम करना सीखता चला गया और वह भी जो शायद उसकी पोस्ट के हिसाब से कहीं ज्यादा थे। अब तो ऑफिस में राहुल की काबिलियत के चर्चे हो चले थे किसी से कुछ काम न हो पाता तो सीधे राहुल के पास पहुंच जाता। राहुल की काबिलियत और मन लगाकर काम करने की आदत अब उसके लिए परेशानी बनने लगी थी, क्योंकि ऑफिस में अब सब राहुल का मुंह तांकने लगे थे। राहुल चाहकर भी किसी काम को मना नहीं कर पाता था क्योंकि सब उसके सीनियर थे फिर बड़ी मुश्किल से राहुल अपने गांव के दिन पीछे छोड़ कर किसी तरह शहर की चकाचौंध में खुद को शामिल कर पाया था, डरता था कि अगर किसी काम को मना कर दिया तो कहीं मुझे नौकरी से न निकाल दें या शायद प्रमोशन ना दें। उसके घर पर सब उसकी नौकरी से खुश थे, धीरे-धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी थी। अपने ऊंचे ख्वाबों और अच्छे लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने के लिए वह आंखे बंद किए काम करे जा रहा था। यह सोचकर कि कुछ नया तो सीख जाता हूं, सच में कुछ नया तो सीख जाता था राहुल पर उसके अंदर दबा हुनर जो उसे सच में सुकून देता था कहीं खो सा गया था। ऑफिस में कुछ महीनों में प्रमोशन होने वाले थे। राहुल को लगा कि कितना मन लगाकर काम किया, सब सीखा जो कहा गया, कभी किसी काम को मना नहीं किया, इतना समर्पित होकर काम किया कि दूसरों के हिस्से का काम भी अपना समझ कर किया तो यह प्रमोशन तो उसको पक्का मिलना तय था। राहुल अपने प्रमोशन को लेकर बहुत निश्चिंत था उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। अब राहुल खुश रहने लगा था घर जाकर कभी कभी अपने शौक को पूरा कर लेता, उन सुंदर चित्रकारी को देखकर मन के किसी अवचेतन में यही बात आती कि कार्टूनिस्ट बनता तो शायद ज्यादा खुश रहता लेकिन उसके घर की स्थिति ने उसे कभी यह रास्ता चुनने ना दिया फिलहाल वह खुश था कि वह ऐसी जिदंगी की दहलीज पर आ चुका था जिसमें पैसा, आराम और दिखावा था। दो दिन बाद

प्रमोशन की घोषणा होने वाली थी राहुल रात में सो भी न पाता अकारण ही उसका मन विचलित रहता पर फिर भी उसे यकीन था कि यह प्रमोशन उसका ही है, प्रमोशन की घोषणा का दिन भी आ गया सब बड़े उत्सुक थे नाम जानने के लिए, कुछ देर बाद राहुल के बॉस ने सबको इकट्ठा किया और प्रमोशन की घोषणा कर दी पर राहुल बहुत अंचभित था क्योंकि प्रमोशन उसको नहीं करन को मिला था। सब नाम सुनकर खुश हुए और करन को बधाई दी। खुश होते भी क्यों ना करन उसके बॉस का रिश्तेदार जो था इसलिए बॉस के खिलाफ जाकर राहुल की पैरवी करने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। गांव से आया राहुल खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जो प्रमोशन उसे ना मिला उसने अपने सहकर्मियों से पूछा तो किसी ने कहा जाने दो यार अगली बार तुम्हें ही मिलेगा, किसी ने बोला तुम गांव से हो तो इतना परफेक्ट नहीं हो प्रमोशन के लिए, किसी ने कहा कि बॉस के पर्सनल काम किया करो सबकी अलग-अलग राय सुनकर राहुल आश्चर्य चकित रह गया किसी को राहुल के प्रमोशन न मिलने पर हमदर्दी नहीं हो रही थी। राहुल रात-भर रोता रहा, उसकी कड़ी मेहनत और लगन उससे सवाल कर रही थी जब यह यही दुनिया है जहां मेहनत से ज्यादा रिश्तेदारी और चापलूसी को देखकर मौका दिया जाता है तो ऐसी दुनिया के पीछे तुमने उस मासूम राहुल को क्यों मार दिया जिसकी दुनिया खुशियों से भरी थी। राहुल उस रात सो नहीं पाया था। वह अपने साथ धोखा जैसा महसूस कर रहा था कि उसके सीनियर फिर से उसे अपना काम बताने लगे राहुल ने काम को मना तो नहीं किया पर अब वो दूसरों के काम में कोई रुचि नहीं हो रही थी। वह बस अपना काम करके घर जाना चाहता था या शायद उसके अंदर के संस्कार उसे ऐसा नहीं करने दे रहे थे। वह सब के काम तो करता लेकिन अब से उन कामों में अपना व्यक्तिगत विकास ना दिखता, उसे ऐसा लगता जैसे वह कॉर्पोरेट जगत की गुलामी वाली दुनिया के शिंकजे में फंसा जा रहा हो। राहुल अब मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसे अब अपने बॉस पर यकीन नहीं था कि उसे प्रमोशन देगा। राहुल गुस्से से भरा रहता क्योंकि उसके किसी सहकर्मी ने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। उसे सब मतलबी लगने लगे थे राहुल थका हारा घर जाता पर देर रात तक नहीं सो पाता था वह अपना अस्तित्व खोज रहा था पर उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। इसी बीच अचानक से एक भयावह महामारी ने दुनिया में दस्तक दी और देश में सभी संस्थानों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायद दी। राहुल भी घर से ही काम करने लगा पर घर पर रहकर वह अपने लिए कुछ समय

निकालना चाहता था कुछ अपना करना चाहता था जो सिर्फ उसकी पहचान हो। राहुल को विचार आया कि वह बचपन में बहुत अच्छे कार्टून बनाता था जो भी उनको देखता तारीफ करते न थकता उसने सोचा क्यों ना कार्टून के साथ कुछ नया प्रयोग किया जाए। अब राहुल ने अपने लिए समय निकाला और कार्टूनों के माध्यम से वह अभिव्यक्त करने लगा जो उसकी संस्कारी जुबान नहीं बोल पाती थी। वह अपने बनाए कार्टून अपने दोस्तों को साझा करता रहा पर उसके दोस्त यकीन ही न करते कि यह उसने बनाया है। वे उसका मजाक उड़ाते कि तुम झूठ बोल रहे हो, इतना अच्छा काम तो कोई निपुण कलाकार ही कर सकता है। एक दिन राहुल के एक दोस्त ने उसे फोन किया और कि अगर सच में वह बनाए कार्टून तुम्हारे हैं तो मेरी एक दोस्त जो न्यूयॉर्क में रहती है और एक एडवर्टइजिंग कंपनी में काम करती है तुमसे मिलना चाहती है। यह सुनते ही राहुल उससे बात करने को तैयार हो गया उस लड़की ने उसे बताया कि मेरे बॉस को तुम्हारा का तुम्हारे यहां आने और रहने का सारा बंदोबस्त अच्छा लगा।

वह तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं यह सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया और उसने न्यूयॉर्क जाने के लिए हामी भर दी। कुछ दिन बाद जब हालात सामान्य होने लगे तो राहुल न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया फ्लाइट में बैठा राहुल अब सच में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार था। वहां पहुंच और काम अपने नए बॉस को दिखाया। राहुल ने कुछ तकनीकी और दूसरों के अनुभव से नई-नई चीजें सीखी और अपने काम में शामिल की जो उसके काम को और निखार रहीं थी व दिन पर दिन नई सफलता दिला रही थी।हुनर और मेहनत से लवरेज राहुल जो व्याभिचार, परिवारवाद और नकली दुनिया में कहीं खो सा गया था आज अपने काम को सफलता मिलते देख कर स्वच्छंद हवा में अपने अस्तित्व को देख पा रहा था। पैसे और चकाचौंध के पीछे भागने वाला राहुल अब समझ चुका था कि यह जीवन सिर्फ आराम से बिताने के लिए नहीं बल्कि समाज में अपना अस्तित्व ढूंढने और लोगों की मदद करने के लिए मिला है। अब राहुल अपना सारा समय समाज में फैली कुरीतियों को अपने कार्टूनों के माध्यम से समाज के बीच अभिव्यक्त करने व उनसे मिले पैसों से गरीबों की मदद करने में लगाता था। राहुल अब कोई आम लड़का नहीं रह गया था वह जरिया था, एक आवाज थी उन सब लोगों के मन की जो अपनी बातें बोलना तो चाहते गलत के खिलाफ आवाज तो उठाना चाहते हैं पर शायद बोल नहीं पाते थे। राहुल के सशक्त कार्टून समाज की गंदगी को जग जाहिर कर देते, पन्नों पर उतरे वह कार्टून देखते ही देखते आम जनता के बीच लोकप्रिय हो गए। समाज की कुरीतियों के खिलाफ बोलने व लगातार विरोध करने के जज्बे की वजह से राहुल को रुबेन पुरस्कार से नवाजा गया। आज राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार पाकर राहुल बेहद प्रसन्न था। उसे बहुत गौरान्वित महसूस हो रहा था कि उसने लीक से हटकर भेड़ चाल ना चलते हुए अपनी जिदंगी में रिस्क लिया और वो किया जो वह करना चाहता था। आज राहुल का चित्त शांति, स्थिरता और प्रसन्नता से परिपूर्ण था, उसका अस्तित्व उसके समक्ष खड़ा उसकीसफलता के लिए तालियां बजा रहा था।

अंशु कालरा पत्नी श्री अनिल कालरा,महाप्रबंधक समन्वय, मेरठ

कहर - ए - कोरोना

समा ए दर्द कहीं तो ठहर जा तू,
कहर-ए-मौत तो थम जा तू,
कितने अपने अपनो से बिछड़ रहे हैं,
कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं,
रिश्ते नाते सब हो गए कितने दूर,
ऐसा किया कोरोना ने मजबूर,
एक दर्द और कसक सी है इस मन में
देख भी न पा रहे अपनो को अंतिम समय में,
हर वक्त एक डर सा है इस मन में,
कुछ बुरा न हो जाए अगले पल में,
हाले दिल किससे कहें, हर अपना भी बेगाना हैं,
इस कदर बैचेन है जिंदगी, हर कदम नया
फसाना है,

यू ही बेरुखी जिदंगी बितानी होगी कब तक,
झूठे सच्चे वादों से बच्चों को बहलाना होगा कब
तक,
दीवारों में कैद यह मन कभी बहुत घबराता है,
विनती और प्रार्थना के सिवा कुछ नजर नहीं
आता हैं,
ए - रब अब तेरा ही सहारा है,
हाथ पकड़ तुझे ही पार लगाना है।

यादें

वीरेंद्र सिंह चौहान
उप परियोजना प्रबंधक / यातायात
टूंडला

जब याद मां की आती है, तो आंखे भर जाती हैं,
देखता हूं अन्य मांओं को तो याद तुम्हारी आती है।

जीवन में बहुत दुःख देखे थे तुमने
पिता के क्रोध से बचाया था तुमने
अपने पेट को काट कर खिलाया करती थी।
खुद रोकर हंसाया करती थी।

याद आता है आपका चेहरा तो आंखें भर आती हैं,
देखता हूं अन्य मांओं को तो याद तुम्हारी आती है।

रात में सुबह की फिकर, सुबह में शाम की फिकर,
बस परिवार के लिए जीने की फिकर
रात में चैन से नहीं सोती थी, जरा से आहट से जाग जाती थी
याद आता है आपका चेहरा तो आंखे भर आती हैं,
देखता हूं अन्य मांओ को तो याद तुम्हारी आती है।

मिल न सका अंतिम समय पर, बात न कर सका अंतिम समय पर
कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मेरी मां से मिल न सका अंतिम समय पर
जब याद मां की आती है तो आंखें भर जाती हैं।
देखता हूं अन्य मांओं को तो याद तुम्हारी आती है।

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। " - महात्मा गांधी

"कल निकलेगा उजियारा"

**आनंद कुमार मिश्रा /
वरिष्ठ कार्यकारी सिगनल
एवं दूरसंचार, धनबाद**

गर आज घना है अँधियारा
तब कल निकलेगा उजियारा,
प्रकृति का शास्वत नियम है
पर शूरवीर कब है हारा ?

माना कि धारा प्रतिकूल है
नौका मझधार में अटकी है,
पर सच्चा खेवनहार वही
जो अनुकूल कर ले धारा।

जीवन में काँटे आते हैं
मन को व्यथित कर जाते हैं,
पर हिम्मत जिनका साथी है
वह भला कभी है हारा ?

जो सदकर्मों पर चलते हैं
नया इतिहास वो गढ़ते हैं,
जीवन में पाते वही खुशी
वे होते है जग का प्यारा

गर आज घना है अंधियारा
तब कल निकलेगा उजियारा
प्रकृति का शास्वत नियम है
पर शूरवीर कब है हारा ?

" हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया है।" - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

रीतेश राजपूत,मल्टी टास्किंग स्टॉफ/ सिविल,जयपुर

महत्व

महत्व शब्द के बारे में आपने सुना होगा और इसका प्रयोग भी आपने किया होगा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे ज्यादा प्रयोग किस शब्द का किया है महत्व या Importance, तो शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोग बोलेंगे Importance जबकि महत्व शब्द सिर्फ 4 अक्षर से मिलकर बना है और Importance में 10 अक्षर हैं। फिर भी हम यही सोचते हैं कि यदि हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे तो लोग हमें ज्यादा महत्व देंगे। यह बात वर्तमान समय में हर इंसान के मन में होती है। इसका एक प्रमुख कारण है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के लोगों के पास खुद का रोजगार है इसलिए ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन यहीं निकाल देते हैं। कुल लोग हैं जो विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं या तो रोजगार की तलाश में जाते है और वहां से जब वो वापस भारत आते हैं तो यहां के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं चूंकि इसका एक कारण यह भी है कि भारत में सिर्फ वही लोग बाहर जा पाते हैं जो अपने घर-परिवार से संपन्न होते हैं और विदेश में भी ये लोग ज्यादातर उन्हीं लोगों के संपर्क में रहते हैं जो लोग संपन्न होते हैं। इसलिए इन लोगों को भारत में सम्मान मिलता है परंतु भारत के जो लोग कभी विदेश नहीं गए वो यही सोचते है कि इसके मान-सम्मान का प्रमुख कारण विदेश और विदेशी भाषा है। इसलिए लोग अधिक मान-सम्मान पाने के कारण अपनी स्वदेशी भाषा का त्याग कर विदेशी भाषा का प्रयोग करना पंसद करते हैं, परंतु इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस तरह विदेशी लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का मान-सम्मान करते हैं उसका त्याग नहीं करते तो हमें भी अपनी मातृभाषा और संस्कृति का मान सम्मान करना चाहिए न कि खुद के मान-सम्मान के लिए उसका त्याग। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए यहां सभी लोगों को अपने धर्म और अपनी मातृभाषा का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। फिर भी लोग यहां अपनी मातृभाषा का प्रचार करने के वजह अपने खुद के मान सम्मान के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग और उसी का प्रचार-प्रसार करते हैं। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत देश में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है। परंतु भारत का एक बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी है। फिर भी भारत सरकार ने भारत की सभी भाषाओं का मान-सम्मान रखने के लिए आजादी की 74 सालों में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया। परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो काम हम लोगों को करना चाहिए था वो काम भी भारत सरकार को करना पड़ रहा है। जिस तरह से भारत के लोगों का विदेशी भाषा को महत्व देना और अपनी भाषा का परित्याग किया है। यह आने वाले समय में मातृभाषा के लिए चिंता का विषय है।

अत: भारत सरकार अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा प्रोत्साहन के लिए हर साल कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि लोग अपनी मातृभाषा के महत्व को समझें और इसका प्रचार-प्रसार करें यदि प्रचार नहीं कर सकते तो इसका प्रयोग करने से ही वह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज के समय में देश शायद विकास से नहीं लोगों की सोच से बदलेगा। अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बढ़ावा और महत्व दें और उनका मान-सम्मान करें। न कि खुद के मान सम्मान के लिए उनका परित्याग।

गजल

सत्यदेव सिंह /कनिष्ठ कार्यकारी सिविल,अजमेर

हम जिदंगी और गम, बात खतम
अब और क्या कहें, हम बात खतम

बाल चल रही थी मोहब्बत क्या है
मैंने कहा भ्रम, बात खतम

उसने पूछा जब हाल मेरा,
मेरी आंखें हो गई नम, बात खतम

महफिल में चल रही थी बात हमारी
लेकिन जब हम पहुंचे तो बात खतम
मैं आज से मैं हूं और तुम तुम हो
अब हम नहीं रहे हम, बात खतम

छीन के मेरी खुशियां, देकर मुझ को गम
ये मत कहो सनम, बात खतम

खुदा को पहले ही मार चुके हो तुम
इस बार खाओ मेरी कसम, बात खतम

" हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेद-भाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है" - मदन मोहन मालवीय

बेटियां

प्रयांशु शिव
कार्यकारी / परिचालन एवं व्यवसाय विकास, जयपुर

पावन स्वर्ग की जरिया होती है, दिव्य धरा की परियां होती हैं,
नाजों की अधिकारी होती है, खुशियों से भरी क्यारी होती है।

नित नूतन नया सवेरा देती है, रूह प्रफूल्लित कर देती हैं,
दु:ख की घड़ियों में अक्सर कर, खुशियां झोली में भर देती हैं।

विनम्र सहृदय बातों से, बरबस मन को मोह लेती है,
छोटी-छोटी बातों पर, जिद पूरी वो अपनी कर लेती है।

मां की प्यारी होती है, पिता की राजदुलारी होती है,
बेटों से भी बढ़कर वो, सदा अज्ञाकारी होती है।

सारे जहां को सुसज्जित करने वाली, भाई से मनमानी करती है,
नाज़ों से पली-बढ़ी वो, किलकारी घर में भरती है।

प्रेम समपर्ण और नैतिकता की वो फनकारी लगती है,
एक पल में न जाने फिर, वो क्यूं रुखसतवारी लगती है।

हर दर्द छिपाए बैठी वो, फिर गम की क्यूं मारी लगती है
हर कर्तव्य निभाकर क्यूं, फिर वो इतनी दूश्वारी लगती है।

क्यूं सहमी होती भीड़ों में, क्यूं इतनी लाचारी लगती हैं,
इतनी व्याकुलता से फिर, वो खुद को क्यूं भारी लगती है।

रिश्तों की अहमियत समझने वाली बहन बेटी, मां, दादी, नानी होती हैं,
है, अंजान हम इन बातों से क्यूं कि बेटियां कितनी प्यारी होती है।

बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, ... बेटियां इतनी प्यारी होती हैं।

समय

अनिकेत,एमटीएस

सिविल,अजमेर

जो बीत गया उसका गम न कर
जो है उसे कम न कर
सफर यूं ही कट जाएगा
हौंसला तू कम न कर

माना कठिन है राहें
तू भर न यूं आहें
देख क्या हो रहा है
इसमें तू भी कुछ नया कर
जो बीत गया...

तू ऐसा कोई काम करेगा
चाहत की वादियों में रंग भरेगा
देख कम न हो ये बुलंदी
तू भी एक दिन बड़ा बनेगा।

आगे का जानता है कौन
छूटा पहचानता है कौन
तुझे बस करना है यही
अभी तुझे जानता है कौन

तेरा रास्ता है यही
तेरी मंजिल है यही
तू चल रहा है जिधर
तेरी जिदंगी है यही

" भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी "

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर

दिल्ली..दिल्ली..दिल्ली...

गंगाराम कुमार, कनिष्ठ कार्यकारी / सिविल न्यू किशनगढ़

एक शहर ऐसा बहुत कुछ सपनों के जैसा
जहां मिलने को मिलते हैं भगवान भी
लेकिन खोजन पर नहीं मिलते इंसान भी

जहां सिर्फ पैसों से ही खरीदी जा सकती है
मकान, गाड़ी, रिश्ते ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ
जहां जनसाधारण के भविष्य का निर्धारण करते हैं कुछ मुठ्ठीभर लोग

जहां इंसान अर्जन करता है बहुत कुछ,
फिर भी अपने को लगा नहीं पाता भोग
जहां जिदंगी दिन के उजाले के साथ शुरू होती है,
लेकिन रात के अंधेरे होने पर खत्म नहीं होती

जहां हर इंसान को है एक-दूसरे की आस
लेकिन मर गए है, जज्बात खत्म हो गए हैं एहसास
जहां चमक-दमक चकाचौंध कर देती है अंधी आंखें
लेकिन इस चमक-दमक के बावजूद अन्न-जल के अभाव में रूक जाती है सांसें

जहां हर इंसान छूना चाहता है आकाश की ऊंचाइयों को
पर अफसोस उसका जमीर छूता चला जाता है पाताल की गहराइयों को
जहां के इंसानों में लगी है एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़

चाहे उसके लिए उन्हें देना पड़े एक-दूसरे के सर फोड़
दिल्ली..दिल्ली .. दिल्ली...

" मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो " - डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डीएफसीसीआईएल, कॉर्पोरेट कार्यालय में दि. 29.01.2021 को आयोजित एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

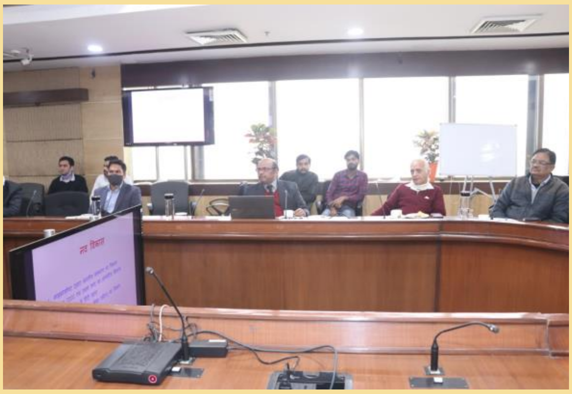

डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा गृह पत्रिका "मंथन" के तृतीय अंक का विमोचन करते प्रबंध निदेशक श्री आर. के. जैन, निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा डीएफसीसीआईएल नोएडा कार्यालय के निरीक्षण के दौरान प्राप्त शील्ड के अवसर पर उपस्थित मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री सचिन्द्र मोहन शर्मा, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री योगेंद्र कुमार त्यागी, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी (नोएडा) श्री सतेंद्र कुमार श्री वी. के सक्सेना एवं श्री राकेश शर्मा / सलाहकार राजभाषा

कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा के दौरान राजभाषा प्रश्न-मंच प्रतियोगिता का आयोजन एवं उपस्थित अधिकारी गण

"बिछुड़न"

जितेंद्र कुमार, वरिष्ठ
कार्यकारी, अहमदाबाद

जलता रहता रातभर, जीवन में उजियारा करता है
दिया रूपी संघर्ष में पवनों से डरता है ।।

लौ बिना अस्तित्व नहीं उसका, फिर भी बढ़ता रहता है।।
रहे ना तिमिर में, वो भी बिछुड़न से डरता है।।

शैशवकाल में, घरा के कितना निकट रहता है।
जीवन उत्तम बनाने के चक्कर में दर-दर भटकता रहता है।
युवावस्था में भी शिशु हृदय सा, मां के प्यार के लिए तड़पता रहता है।।
बढ़ जाए जीवन में वो कितना भी, धरा (मां) से बिछड़ने से डरता है।

यौवन आये, जिम्मेदारी भी, प्रेमिका से प्यार भी करता है।
कर्तव्य निभाए , परिवार, प्रेमिका को समय भी देना पड़ता है।

सबको साथ में लेके, आगे बढ़ता रहता है।
रूठ न जाए कोई इसी बिछुड़न से डरता है।

वृद्धावस्था आए, सुखी सा जीवन जीना चाहता है।
दैनिक कृत्य करके, वृद्ध शरीर सा बैठा रहता है।
बोलना चाहता है, बहुत कुछ, किंतु चुपचाप सा रहता है।।
कोई वृद्धाश्रम न भेज दे, इसी बिछुड़न से डरता है।

"आप जिस तरह बोलते है बातचीत करते हैं उसी तरह लिखा भी कीजिए भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।"
- महावीर प्रसाद द्विवेदी

स्वाध्याय से ज्ञान की

योगेन्द्र कुमार त्यागी
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं महाप्रबधंक /
भूमि एवं जनशिकायत, कॉर्पोरेट कार्यालय

स्वाध्याय का सीधा व सरल अर्थ है- स्वयं के द्वारा अध्ययन। विभिन्न दर्शनों के अनुसार स्वाध्याय एक नियम है। अपने से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय में चिंतन, मनन तथा श्रवण इन बातों का भी समावेश होना चाहिए। जीवन निर्माण और जीवन सुधार जैसी पुस्तकों को पढ़ना, उन पर मनन करना, उन पर चिंतन करना, उन्हीं का श्रवण करना तथा उस पर अमल करना ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय का जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाध्याय से व्यक्ति का जीवन, व्यवहार, सोच और स्वभाव बदलने लगता है। सामान्यत: मनुष्य अपने आसपास के मनुष्यों व वस्तुओं का अध्ययन करता रहता है क्योंकि कालातंर में यह स्थिति बदलती रहती है। हम अपना अधिकांश समय दूसरे मनुष्यों तथा वस्तुओं का अध्ययन करने में या सोचने में निकाल देते हैं। परिणामस्वरूप हमारे पास स्वयं का या स्वयं के द्वारा अध्ययन का समय ही नहीं मिलता है।

धर्म के परिप्रेक्ष्य में, स्वाध्याय का अर्थ, धार्मिक पुस्तकें, वेद, गीता आदि एवं अन्य साहित्यों का पाठ करना भी है। जीवन निर्माण और सुधार संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करना, श्रवण, मनन, चिंतन आदि करना स्वाध्याय कहलाता है। आत्मचिंतन करना भी स्वाध्याय है। गीता के अनुसार स्वाध्याय तप है। भीष्म पितामह के अनुसार स्वाध्याय धर्म है। विभिन्न दर्शनों के अनुसार स्वाध्याय एक नियम है। एक छात्र के परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय का अर्थ उसके द्वारा स्वयं की पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों या विषयों का अध्ययन करना है। जब तक छात्र पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों का अध्ययन, चिंतन का मनन नहीं करता तब तक उसे यथोचित ज्ञान प्राप्त नीं होता है। अत: स्वाध्याय एक छात्र के लिए नितांत आवश्यक है। जब तक हम स्वयं को समय नहीं दे पाते हैं तो आस-पास के वातावरण के अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि ऐसा वातावरण जिसकी कोई दिशा नहीं होती है वस्तुत: ऐसा वातावरण हमें प्रतिदिन कुविचारों के कीचड़ में ढेला करता है और हम उसी वातावरण में अपने को ढाल देते हैं।

आत्मा नेत्र ज्ञान है। मनुष्यता का गौरव भी ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति की स्थिति नेत्रहीन जैसी हो जाती है। जीवन के सभी दुख अज्ञान और आसक्ति से ही पैदा होते हैं। स्वाध्याय से भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान व स्वाध्याय से विचार बनते हैं। अच्छे परिष्कृत विचार ही व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं। यदि गंभीरता व स्थिरता से विचार किया जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, हिंसा, असत्य, अब्रहम्चार्य, अशौच, ईश्वर में अश्रद्वा और अविश्वास, परिग्रह और भय आदि मनुष्य के चारों ओर स्थित वातावरण के प्रभाव स्वरूप गंदगी है जो मनुष्य के विचारों एवं संस्कारों के प्रदूषित करती रहती है और यदि मनुष्य कुविचार से स्वयं को दूर करने की चेष्टा न करे तो यही कुविचार संस्कार का रूप ले लेता है। आपका मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, जो विषयों में आसक्त हो जाता है और बंधन का कारण बनता है और निर्विषय अर्थात वीतराग हो जाता है तो मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

स्वाध्याय मन की मलीनता को साफ करके आत्मा को परमात्मा के निकट बिठाने का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वाध्याय से ज्ञानवर्धन होता है। प्रतिदिन स्वाध्याय करने से बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है और सूक्ष्म भी हो जाती है। जिससे कि वह प्रकृति के रहस्यों को स्वत: ही जानने लगती है। सुबह और शाम का स्वाध्याय उत्तम है, दोपहर का मध्यम है तथा रात का स्वाध्याय तीसरी श्रेणी में आता है। स्वाध्याय हमेशा ध्यानपूर्वक और तन्मयता से करना चाहिए। थोड़ा किंतु गहन चिंतन के साथ किया गया स्वाध्याय बहुत लाभकारी होता है। स्वाध्याय के लिए समय की कोई सीमा नहीं है।

उदाहरण:- यहां एक ऐसे भारतीय व्यक्तित्व की पूर्ण जानकारी साझा करूंगा जिस व्यक्ति ने अपने स्वाध्याय के बल पर ज्ञान प्राप्त किया तथा उस ज्ञान के आधार पर संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त की। यद्यपि विश्व में अनेको व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने स्वाध्याय के आधार पर ज्ञान अर्जित किया है तथा प्रसिद्धि प्राप्त की, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में, श्रीनिवास रामानुजम एक ऐसा नाम है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वाध्याय के बल पर ज्ञान अर्जित कर उसका समाज के लिए उपयोग किया।

चिन्नास्वामी (श्री निवास रामानुजम की मां द्वारा दिया गया उपनाम) का जन्म 22 दिसबंर, 1887 को एक धर्मनिष्ठ, निर्धन एवं साधारण शिक्षा प्राप्त तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह अपने माता-पिता की ज्येष्ठतम संतान थे। इनके पिता पेशे से लिपिक थे तथा इनकी मां सारंग पाणि मंदिर में भजन गाया करती थीं। दो वर्ष की अल्प आयु में अर्थात 1889 में बालक श्रीनिवास रामानुजम को चेचक की बीमारी हुई जो उस दौर में एक जानलेवा रोग था। वर्ष 1892-1894 के मध्य पारिवारिक संकट के कारण कुंभकोणम और कांचीपुरम में कई प्राथमिक विद्यालय बदलने पड़े। अंत में बालक रामानुजन को गंगायन प्राथमिक विद्यालय में दाखिला मिला। वर्ष 1903 में द्वितीय श्रेणी में दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने कुंभकोणम के सरकारी महाविद्यालय में एफ.ए (प्राथमिक कला) के छात्र के तौर पर दाखिला लिया। इसी दौरान उन्होंने ब्रिटेन के गणितज्ञ जीएम कार की किताब "ए सिनोपासिस ऑफ एलिमेंटरी रिजल्टस इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमैटिक्स स्वयं पढ़ी। 1904 में स्कूल की अंतिम परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए के रंगनाथराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एमए की परीक्षा में विपरीत परिणाम सामने आए। महाविद्यालय में गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। वर्ष 1906 में,

मद्रास के पचियप्पा महाविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन खराब सेहत के चलते तीन महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया। वर्ष 1907 में, एम ए की निजी परीक्षा दी और नाकाम रहे। इसके उपरांत रामानुजन मद्रास और आसपास के क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलते रहे ताकि वे स्मरण पुस्तकों के आधार पर उन्हें नौकरी या छात्रवृत्ति दिलवा सकें, जिससे वह निजी स्तर पर गणित में अपना अनुसंधान जारी रख सकें और परिवार का भी हाथ बंटा सके। अंतत: वर्ष 1910 में रामानुजन, नेल्लूर के जिलाधिकारी एवं भारतीय गणितीय समाज के तात्कालीन सचिव श्री दीवान बहादुर रामचंद्र राव से 25 रुपये का मासिक भत्ता पाने में कामयाब रहे। वर्ष 1911 में भारतीय गणितीय समाज की पत्रिका में पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। मद्रास बंदरगाह न्यास में वर्ष 1912 से बतौर लिपिक

की नौकरी करने लगे। उनका वेतन 30 रुपये प्रतिमाह था। इसी दौरान उनकी मुलाकात नारायण अय्यर भारतीय गणितीय समाज के सदस्य से हुई। श्री अय्यर ने रामानुजन की बेजोड़ प्रतिभा के बारे में सर स्प्रिंग बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष को बताया तथा उनका परिचय कराया। सर स्प्रिंग ने रामानुजन का परिचय ब्रिटेन के गणितीय समुदाय से कराने की कोशिश की। इसी वर्ष रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ एच.एफ.बेकर एवं ईडब्लू हॉब्सन दोनों ही रॉयल सोसायटी के सदस्य थे, के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया। अपने शोध के कुछ चुनिंदा निष्कर्षों को साझा किया एवं मदद का भी अनुरोध किया। 16 जनवरी, 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी विश्व़विद्यालय की गणितज्ञ जी.एच.हार्डी को 10 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपने गणित के 120 मौलिक सूत्र भी लिखकर भेजे। रामानुजन के सूत्रों से प्रभावित होकर हार्डी ने इंग्लैंड आने का न्योता दिया वह भी पूरी छात्रवृत्ति के साथ। उसी साल उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय ने भी 75 रुपये प्रति माह की शोध छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। जिसके कारण रामानुजन यह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वह इंग्लैंड जाए या नहीं। हार्डी ने नैविल को रामानुजन को मनाने के लिए भेजा। 14 अप्रैल, 1914 को रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे जहां उनकी गणित के क्षेत्र में उनकी असाधारण यात्रा शुरू हुई।

मार्च 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने स्नातक की उपाधि दी। फरवरी 1918 में रामानुजन रॉयल सोसायटी के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय तथा कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय के अध्येता बनने वाले पहले भारतीय बने, लेकिन दुर्भाग्यवश रामानुजन को टीबी हो गई। इसी बीच स्वदेश में मद्रास विश्व विद्यालय में उन्हें छह साल के लिए प्रतिवर्ष 250 पाउंड को अध्येतावृत्ति देने का फैसला किया। गिरते स्वास्थ्य के कारण 13 मार्च 1919 को वह भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद, रामनुजन ने हार्डी को चिट्ठी लिखी जिसमें 22 उदाहरणों के माध्यम से कृत्रिम थीटा फलनों का ब्यौरा दिया। 26 अप्रैल 1920 को मद्रास में रामानुजन का निधन हो गया उस समय वह मात्र 32 वर्ष के थे।

स्वाध्याय के द्वारा, रामानुजन ने अपने इस छोटे से जीवन में 3542 गणित की प्रमेय लिखी जो कि उनके जीवनकाल में साबिन नहीं हुई थी। बाद में अन्य गणितज्ञों ने 20 वर्ष से अधिक समय में इन्हें साबित किया। लगभग 900 गणित के सूत्र लिखे जिनकी व्याख्या अभी तक की जा रही है। अत: सफलता प्राप्ति के लिए स्वाध्याय ही एक माध्यम है।

"हिंदी द्वारा सारे भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है।"

- स्वामी दयानंद

हर मर्द एक मुजरिम नहीं होता

जायसी जे जैन पुत्री जैनेंद्र कुमार वैद्य, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं परियोजना प्रबंधक (सिगनलएवं दूरसंचार) मुंबई/दक्षिण

फूलों की कली तो नहीं वह
पर कांटों की चुभन सहना आता है उसे,
श्रृंगार की पहचान नहीं सही
वीरता की परिभाषा आती है उसे,
पिता की लाड़ली नहीं वह
पर लाड़ लड़ाना आता है उसे,
होते है कई मनुष्य मतलबी इस संसार में,
पर जरूरी तो नहीं वह एक मर्द हो हर पहर! ?
यह कहानी उस अबला नारी की नहीं जिसे हर अनजान में एक
मुजरिम नजर आता है!
यह कहानी उस मर्द की है जो एक मुजरिम नहीं है!
जाहिर ना करे सही,
हर मर्द को दर्द नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता
हां ! हर मर्द एक मुजरिम नहीं होता।

सुनि हैं कई वारदातें ज्यादती की हमने,
पर हर मर्द एक 'रेपिस्ट' नहीं होता !
वारदातों के गहन अंधकार ने बुझा दिया है उनका सम्मान,
हर नारी समझती है, कर सकते हैं वो सिर्फ अपमान।

पर मैने अपने पिता को अपमान सहन करते

देखा है,
दिल में गम छुपाए मुस्कराते देखा है।
अपनी लाड़ली की जिद पूरी करने, पूरी दुनिया से लड़ते देखा है,
कहते नहीं है वो,
पर दर्द उन्हें भी होता है।
हां ! हर मर्द एक मुजरिम नहीं होता।

माता के संस्कारों का अंत नहीं है यह,
हां ! आज भी श्रवण कुमार जीवित है कई !
भरोसा तोड़ने वाले होते हैं बहुत,
परंतु विश्वास का बीज आज भी बोते हैं कई!
पराई स्त्री को बहन की नजरों से देखना कई जानते हैं अभी,
राखी के बंधन को जो भूले नहीं हैं अभी।
स्वयं भूखे रहकर परिवार का पेट भरते हैं वे,
दर्द होता है उन्हें भी पर कभी उफ करते नहीं देखा।

अगर माता है मूरत दुर्गा की,
तो पिता में भी ईश्वर का निवास है।
जिम्मेदारियां उनपे भी कम नहीं,
इस बात का अहसास अब गहरा है।
भय तो लगता है उन्हें भी,
बस कभी बताते नहीं देखा,
हर मर्द को दर्द नहीं यह जरुरी नहीं होता,
हां ! हर मर्द एक मुजरिम नहीं होता।

काश समझ पाते हम सब जमाने के इस भेद को,
करने नहीं देता हमें मर्द पर भरोसा जो।
काश ! समझ पाते हम सब
स्त्री ही नहीं अपितु एक मर्द को भी हो सकती है
जरुरत सहारे की !
इस दुनिया में जीना नहीं आसान
यह जानता है वह,
दर्द तो होता है उन्हें भी पर किसी से कहते हुए
नहीं देखा !

भारत के किसी किनारे पर,
आज भी कश्ती में सवार हैं कई,
हां ! स्त्री के सम्मान की रक्षा हेतु तैयार हैं कई।
सीमा पर खड़े उन नौजवानों पर, देश की हर
स्त्री को गर्व है,
पर शहर में रहने वाले भी कई मर्द ऐसे हैं अभी।
इंसानियत का अंत नहीं है यह,
उम्मीद की किरणें बाकी हैं अभी।
होते हैं कई, मिट्टी के संस्कारों का गला घोटते हैं
जो,
परंतु हर मर्द पापी हो यह जरूरी नहीं होता !
हर मर्द को दर्द नहीं यह जरूरी नहीं होता।

राहुल कुमार झा
कनिष्ठ कार्यकारी
(अभियांत्रिकी),
अहमदाबाद

नौकरी पर व्यंग

सुना जाता है कि पहले जमाने में नौजवान, मुल्क जीतने, लंबी और कठिन यात्राएं करने खानदान का नाम ऊंचा करने के सपना देखा करते थे। अब ये केवल नौकरी का सपना देखते हैं। नौकरी ही हमारे

युग का सबसे बड़ा एडवेंचर है। आज के इब्नबतूता, वास्कोडिगामा और स्काट नौकरी की खोज में लगे रहते हैं। आज के ईसा, मोहम्मद और राम की पहली मंजिल नौकरी है।

"नौकरी" तीन अक्षर और दो मात्राओं का यह शब्द आज के ख्वाबों की कसौटी है। जो इस कसौटी पर खरा उतर सके वहीं खरा है।

कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां एवं समाधान

सविता शर्मा,
कार्यालय सहायक,कार्पोरेट कार्यायल

भारत जैसे विशाल देश में जहां महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत है। वहां उनके भाग्य का, कर्मक्षेत्र का एवं जीवन का निर्णय उनका नहीं होता, बल्कि घर के पुरूष या बुजुर्ग महिलाएं लेती थी। आर्थिक सारी जिम्मेदारी पुरूष के कंधे पर ही होती थी परंतु आज के इस युग में परिस्थितयां बदल रही हैं। आर्थिक समस्या अजगर की भांति मुंह खोले है। स्त्री और पुरूष गृहस्थी के दो पहिए हैं। आज के युग में केवल एक पहिए से गृहस्थी नहीं चलती। ऐसे में महिला पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

कामकाजी महिलाओं को घरेलू एवं बाहरी दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है अर्थात उन्हें अपने घर परिवार, रिश्ते-नाते के साथ-साथ ऑफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है और इन सबमें प्रमुख है दोनों के बीच में संतुलन। क्योंकि किसी एक पक्ष को गलती से भी इग्नोर करने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगती है। कार्यालय से थकी आने पर भी बाजार से घरेलू सामान लाती है। घर में कदम रखते ही रसोई, सफाई, बच्चों की पढ़ाई देखभाल बुर्जुगों की सेवा, पति, बच्चों की पंसद का भोजन बनाने इत्यादि में जुट जाती हैं। विंडबना है की इतनी जिम्मेदारी के बाद भी एक महिला को घर व समाज के तानों से दो-चार होना पड़ता है।

आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यमवर्गीय के साथ-साथ आम शहरी, मध्यमवर्गीय परिवारों की नारियां भी शिक्षित हुई हैं और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की है और कई ने अपने इन प्रयासों में सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन पितृवादी सोच हमेशा उनके आड़े आती है, जो उनकी परेशानियों का कारण बनती है। घर के बाहर की समस्या ऑफिस में अभी भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है फलत: पूरी तरह से सहज नहीं हो पाती है। महिलाओं को समाज के बाहर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे :

- कार्यालय में सैक्सुअल हरासमेंट का डर
- अपने सहकर्मी से पर्याप्त सम्मान न मिल पाना
- महत्वपूर्ण भूमिका न दिए जाना
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मजाक बनाना
- महिलाएं अधिकांशत: असंगठित क्षेत्र में ही हैं, अत: जीवन व्यवसाय इत्यादि की असुरक्षा तथा निम्न वेतन
- जैविक कार्यों (मातृत्व इत्यादि) के लिए भी पर्याप्त अवकाश न मिल पाना

चूंकि पांरपरिक रूप से घर का काम महिलाओं के हिस्से आता था, लेकिन तब की स्थिति अलग थी, क्योंकि तब महिलाएं घर में ही काम करती थीं, लेकिन अब जबकि वे बाहर निकलकर काम करने लगी हैं, तब भी उनसे घर के सारे काम करने की अपेक्षा की जाती है। एक कामकाजी महिला को कामकाजी पुरूषों की तुलना में दोगुना काम करना होता है। अपने बच्चे, पति, सास-ससुर इत्यादि का भी ख्याल पूर्ववत रखना पड़ता है। अब क्योंकि संयुक्त परिवार टूट गए हैं, इसलिए उनका हाथ बॉटने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती है।

परंतु जहां समस्याएं होती है, वहां कोई न कोई समाधान भी अवश्य होती है। यदि गृहस्थी के दोनों पहिए मिलकर विचार-विमर्श करें और समाज भी अपनी जिम्मेदारी स्त्री वर्ग के प्रति प्रकट करे तो समाधान भी हो सकता है। संक्षेप में निम्नलिखित समाधान हैं:-

- घरेलू कार्यों में पुरूषों को महिलाओं के साथ बराबरी से काम में हाथ बांटना चाहिए।
- घर के बाहर जैसे कार्यालय, परिवहन के साधन इत्यादि की व्यवस्था इतनी सुरक्षित एवं वूमन फ्रैंडली हो कि वे वहां सुरक्षित महसूस कर सकें।
- इनकी जैवकि आवश्यकता को देखते हुए मातृत्व अवकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- संगठित क्षेत्रों में तो "मातृत्व लाभ' अब अनिवार्य हो गया है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसी कुछ व्यवस्था हो।
- डामेस्टिक हेल्प को विनयमित तथा सुरक्षित बनाया जाए, ताकि महिलाओं की सहायता हो सके, तभी समाज सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अधिकाधिक भागीदार बना सकेगा।

भारत ने खेला विकास का ऐसा खेल, बनवा कर डीएफसी रेल
इस पर बन गई मालगाड़ी भी मेल, कम खपत हुई डीजल तेल!
हुआ कलाकारी और कुदरत का मेल, अब होगी सस्ते माल की ज्यादा सेल

अमित कुमार,
एमटीएस
सिविल, न्यू
रेवाड़ी,जयपुर

शंशाक शेखर / वरिष्ठ कार्यकारी / सिविल / पूर्वी कोरीडोर

"असफलता"

असफलता
से उत्पन्न होते हैं
प्राय: दो भाव
उद्विग्नता अथवा स्वीकृति

उद्विग्नता होती है क्षणिक
यह पैदा करती है
एक चिंगारी
जो चाहती है
दावानल बनकर
अविलंब सब कुछ
भस्म करना

परंतु स्वीकृति
जलती है
द्रुतपुंज की तरह
शनै: शनै:
चिर काल तक
किसी दिन सफल होकर
पाषाण सा दृढ़
बन जाने की आस में ।।

विकास,
स्टेनोग्राफर,
कॉर्पोरेट कार्यालय

भारतीय किसान

भगवान विष्णु यदि सृष्टि के पालक हैं तो मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। किसान कर्मयोगी की भांति मिट्टी से सोना निकालता है, तथा रूखा, सूखा खाकर संतुष्ट रहता है। दूसरों का पेट भरकर ही वह अपनी साधना में लीन रहता है। दुख उसके जीवन का साथी है, तपस्या उसके जीवन का उद्देश्य है। परोपकार उसके जीवन का लक्ष्य तथा परिश्रम उसके जीवन का अंग है। वह अपनी दरिद्रता में ही प्रसन्न है तथा अपनी झोपड़ी में रहकर ही आनंदित है। वह कड़कती धूप में, हाड़ कंपाने वाली सर्दी में, मूसलाधार बारिश में अपने खेतों में कार्य करता है। जब सब लोग अपने-अपने घरों में सो रहे होते है तो किसान हल व बैल के साथ खेत में काम कर रहा होता है। लोग परिवार के साथ घरों में आनंद लेते हैं तो किसान खेत में संसार के लिए अन्न उगा रहा होता है। वह सुबह पहले उठता है और संध्या को घर आता है। किसान अपना सारा जीवन निर्धनता में ही बिताता है। वह साहस की जीवत मूर्ति है। त्याग और संतोष उसके गुण द्वारा पैदा किए अन्न से सेठ- साहूकार अपने खजाने भरते हैं, लेकिन वह उससे कोसों दूर रहता है। इतना कुछ करने के बाद भी वह ऋणी रहता है। आजकल नए-नए चीजों और औजारों के अविष्कार से किसान की दशा में सुधार हो रहा है। आजकल का किसान खेतों में सोना उगा रहा है।

कंधों पर बचपन

जयप्रकाश
कनिष्ठ कार्यकारी/ प्रशासन / सिविल, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

बात उस दौर की है जब हमारे गांव में बिजली नहीं आई थी। मेरी उम्र 4-5 वर्ष थी। लोग दिन छिपने से पहले ही पेट पूजा कर लिया करते थे। जिस प्रकार आजकल मुख्य भोजन से पहले सूप लिया जाता है, उसी प्रकार गांव में लोग पहले थाली भरकर दूध-रबड़ी खाते थे। जो शायद उनके लिए ऐपेटाइजर का कार्य करता था। उसके बाद सब्जी रोटी खाई जाती थी।

भोजन के उपरांत लोग अपनी-अपनी खाट पकड़ लेते थे अथवा सर्दियों के मौसम में आग जलाकर बैठे रहते थे। कुछ कथा वाचक भूत-प्रेतों के अपने थ्रिलिंग अनुभवों से हम जैसे बच्चों को अवगत कराते थे। अनुभवों की सत्यता की पुष्टि हेतु कथवाचक को सौगंध भी खिलाई जाती थी। मेरे दिन का अधिकतर समय दोस्तों के साथ खेलने-कूदने में गुजरता था तथा रात का समय दादाजी के साथ बीतता था। दादाजी मेरे लिए आयरन डोम (इजराइली तकनीक) का काम करते थे, वे मां की ओर से आने वाली मिसाइलों से मेरी रक्षा करते थे। मैं रात को दादाजी के साथ उनकी खाट पर ही सोता था। सुबह न जाने क्यों हमारी खाट गीली मिलती थी, जिस कारण मेरे दिन की शुरुआत दादाजी की पवित्र गालियों से होती थी।

उन दिनों टीवी पर रामानंद सागर की रामायण शुरू हुई थी। दादाजी रामायण देखना चाहते थे, लेकिन घर में न तो बिजली थी और न ही टीवी। पड़ोसी गांव के एक घर में टीवी थी जिस पर पूरा गांव रामायण देखता था। हमारे लोगों ने तय किया कि रात को वहीं जाकर रामायण देखा करेंगे। मैं चडडी बनियान में दादाजी के साथ चल पड़ता। धूल से भरे कच्चे रास्ते थे। रात को ठंडी धूल नंगे पैरों को बहुत सुकून देती थी। कहीं-कहीं रास्ते में कंकर भी पड़ते थे जो पैरों के लिए एक्यूपंचन का काम करते थे। टीवी के मालिक के आंगन में सिनेमा हॉल जैसी भीड़ जमा होती थी। हम बच्चों को सबसे आगे बिठा दिया जाता था और अन्य बड़े-बुजुर्ग पीछे बैठकर हुक्का गुडगुड़ाते हुए रामायण देखते थे। रामायण मेरी समझ से बाहर की चीज थी, इसलिए टीवी को निहारते-

निहारे मैं सो जाता था। शो खत्म होने के बाद दादाजी मुझे जगाते थे और घर चलने के लिए कहते थे।

मैं नीद में लड़खड़ाते हुए खड़ा होता था। अपने पैरों पर चलकर घर तक पहुंचने की ताकत मुझमें नहीं होती थी। दादाजी मुझे अपने कंधे पर उठा लेते थे, मैं उनके सिर को पकड़कर बैठ जाता था। रास्ते में वे मुझे जागते रहने के लिए कहते जाते थे और में ऊँधता हुआ हां में जवाब देता था। बचपन में बड़े बुजुर्गों के कंधे पर बैठकर सवारी करना हमारे लिए आम बात थी। जैसे आप बंदर के बच्चों को उनके माता-पिता से लटके हुए देखते हैं बिल्कुल वैसे ही हम गांव के बच्चे भी अधिकतर समय परिवार के सदस्यों की कमर या कंधों पर लटके हुए पाए जाते थे। कहीं न कहीं इस साहचर्य ने हमारे अंदर अपने बड़े-बुजुर्गों के प्रति भावनात्मक लगाव मजबूत किया। कंधों पर बीता वह बचपन आज भी रह-रहकर याद आता है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

अरविंद साहू, वरिष्ठ कार्यकारी, सिगनल एवं दूरसंचार,टूंडला

पछतावा

पछतावा कौन करते हैं
जो सच को झूठ समझते हैं
दृढ़ निश्चय करके भी पीछे हटते हैं
सोच रहा था क्या पता नहीं था सच
सब बार-बार बोले पता था पता था।।

आवाज आई अहंकार में, इंसान के प्रभाव में
में में से मुड़ गया और जिद्दत में पड़ गया
अरे ये क्या कर डाला तूने खुद ही मर गया
फिर बोला जिंदा हूं मगर भीतर से मर गया

पछताबा हुआ मगर समय बदल गया
कमजोरी जो थी नहीं उसी में पड़ गया
दूर की बात करके पीछे मुकर गया

क्यूं डरता है तू सही गलत से
निर्णय तू कर खुद की मदद से
किस्मत होगी अच्छी फिर हिम्मत से
गलत हो या सही तू आत्मनिर्भर बन जाएगा।
बदल जाएगा मगर पछतावा नहीं आएगा।

कु. आरती, कार्यकारी / व्यवसाय विकास, मुंबई दक्षिण

जीवन के दो परिप्रेक्ष्य

चिलचिलाती धूप में जब, पेड़ की छाया सर को ढकती है,
दो महीने की बच्ची जब, मां के कलेजे से लिपटती है,
कोई पुजारिन मंदिर पर जब, माथा टेका करती है,
और कोई भिखारिन अपने बच्चे को, जब विवशता से देखा करती है।।

तब जाने मेरी ये कविता मुझको कैसी-कैसी लगती है,
जिंदगी के हर पहलू को हकीकत में बयां करती है।।

बारिश के मौसम में जब, ठंडी हवा बहती है
मेढक की टर-टर में जब, संगीन रागिनी कहती है,
ठंडी-ठंडी बूंदों में जब, हल्की सी नमी रहती है
और छिपाने को अपना सर, जब गरीबी भागी फिरती है।

तब जाने मेरी ये कविता मुझको कैसी-कैसी लगती है।
जिदंगी के हर पहलू को हकीकत में बयां करती है।

पेड़ों की डाली पर जब, कोयल चहका करती है,
अमुआ की डाली पर जब, सखियां झूला करती हैं,
खेतों की हरियाली जब, खिलखिलाकर हंसती है,
और थके हारे किसान की जब, नींद में आंख लगती है।

तब जाने मेरी ये कविता मुझको कैसी-कैसी लगती है।
जिदंगी के हर पहलू को हकीकत में बयां करती है।

लॉकडाउन में शिक्षा

पूनम बिरला, कार्यालय सहायक, कॉर्पोरेट कार्यालय

COVID-19 महामारी ने शिक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया है। COVID-19 के कारण दुनिया भर में स्कूल बंद हो गए हैं। नतीजतन, ई-लर्निंग के विशिष्ट उदय के साथ, शिक्षा में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जिससे शिक्षण दूरस्थ रूप से और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाता है।

लॉकडाउन ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया, वह है-शिक्षा। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारे संस्थान तत्काल बंद कर दिए गए, ताकि शारीरिक दूरी बनी रहे और कोरोना की महामारी से बचाव हो सके। आज की तारीख में बच्चों की शिक्षा अभिभावकों की प्राथमिकताओं के केंद्र में है। इसलिए पठन-पाठन का अचानक परिदृश्य से गायब हो जाना गहरी चिन्ता का विषय बन गया था। इसी समय उम्मीद की किरण के रूप में ऑन-लाइन शिक्षा सामने आई। पहले कुछेक, फिर तमाम संस्थानों ने इंटरनेट की सहायता से छात्रों को उनके घर में शिक्षा देना शुरू कर दिया। ऑन-लाइन क्लासेज के फायदे कई हैं, जिसमें सबसे पहले समय की बचत, धन की बचत, स्वास्थ्य की सुरक्षा और पढ़ाई के साथ सिकिल्स डेवलप करने का मौका आदि।

त्रुटियों का सुधार इससे पहले प्रतियोगी परीक्षा, शोध, विशेषज्ञता, विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर सामग्री के लिए गूगल, यूट्यूब, ई-पोर्टल और विभिन्न एप्स पर तो बहुत कुछ था, किन्तु इस बार लॉक-डाउन के दिनों में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के तहत वाट्सएप्प ग्रुप बनाकर जिस तरह नियमित पाठ्य सामग्री भेजी गयी, अध्यापक ऑन-लाइन रहकर छात्रों की समस्याओं के समाधान के प्रति तत्पर दिखे, परीक्षण के प्रश्नों का मूल्यांकन हुआ, त्रुटियों का सुधार कराया गया, प्रोत्साहन के निमित्त अध्यापकों ने छात्रों को प्रेरक टिप्पणियाँ भेजीं, यह सब अभूतपूर्व था।

दुनिया के कई हिस्सों में कक्षा से अचानक इस बदलाव के साथ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑन-लाइन सीखने को अपनाना महामारी के बाद भी जारी रहेगा और इस तरह के बदलाव का दुनिया भर के शिक्षा बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। COVID-19 से पहले भी, शिक्षा प्रौद्योगिकी में पहले से ही अपनाया जाता था परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल या ऑनलाइन लर्निंग सॉफ़्टवेयर COVID-19 के बाद से उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिनके पास सही तकनीक की पहुंच है, उनके लिए इस बात के प्रमाण हैं कि ऑन-लाइन सीखना कई तरीकों से अधिक प्रभावी हो सकता है। कुछ शोध से पता चलता है कि एक कक्षा में केवल 8-10% की तुलना में ऑन-लाइन सीखने पर छात्र औसतन 25-60% अधिक सामग्री रखते हैं। यह ज्यादातर छात्रों के ऑनलाइन तेजी से सीखने में सक्षम होने के कारण है; ई-लर्निंग के लिए पारंपरिक कक्षा सेटिंग की तुलना में सीखने के लिए 40-60% कम समय की आवश्यकता होती है क्योंकि छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, वापस जा सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या अपनी पसंद के अनुसार अवधारणाओं को तेज कर सकते हैं।

ऑन-लाइन शिक्षा के लाभ: सुविधा, लचीलापन, लागत कम करना, तकनीक की समझ रखने वाला

ऑन-लाइन शिक्षा के नुकसान: सामाजिक संपर्क का अभाव, प्रौद्योगिकी मुद्दे

कोरोना संवाद

राकेश कुमार, कार्यालय सहायक, कॉर्पोरेट कार्यालय

गांव की चौपाल पर कोरोना विषय पर वार्तालाप जारी है, तभी सामने से ऊंची कद-काठी वाला एक व्यक्ति मुंह पर मास्क लगाए हुए आता है और सभी को नमस्कार करता है।

काका : फौजी साहब राम-राम, कहां तक जा रहे हो।

फौजी : राम-राम काका, अरे ! थोड़ी दूर बंगाली तक जा रहा हूं। कल से ठंड-जुकाम सा हो गया था, एक-आध गोली ले आता हूं।

बाबा: अरे फौजी तू कैसा फौजी है जो थोड़े से ठंडी-जुकाम से डर गया।

डॉ. साहब: नहीं बाबा, बीमारी से जूझना कोई बहादुरी की बात नहीं है, तुरंत इलाज शुरू करने से बीमारी को आरंभ में ही रोका जा सकता है क्यों फौजी साहब, जब बोर्डर पर एक दो आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए देखते हो, तो क्या आप आने देते हो ?

फौजी : क्या बात करते हो डॉ. साहब, देखते ही गोली मार देते हैं, आतंकवादी देश में घुसकर और आतंकवादी पैदा करते हैं और जगह-जगह अपने अड्डे बना लेते है। फिर उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है।

डॉ. साहब: बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी प्रकार कोरोना वायरस को आरंभ में ही कमेजार करना जरूरी होता है। तुरंत इलाज शुरू न करने पर यह वायरस शरीर में तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और बाद में उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है।

काका: डॉक्टर साहब, यो कोरोना कौन-सी गोली से मरे है।

डॉ.साहब: काका अभी तक ऐसी कोई गोली दवाई नहीं है जिससे कोरोना को शरीर में मारा जा सके।

बाबा: क्या बात कह रहे डॉक्टर साहब, फिर ये पब्लिक अस्पताल से गोली दवाइयों की गठरी बांध कर क्यों ला रहे हैं।

फौजी: हॉ, डॉक्टर साहब फिर वायरस से लड़ता कौन है।

डॉ. साहब: देखो जैसे किसी देश की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी सेना होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर से वायरस जैसे आतंकियों से लड़ने के लिए सैनिक होते हैं जिन्हें हम एंटी बॉडीज कहते हैं। जब वायरस और एंटीबॉडीज में युद्व शुरू होता है तो हमारा शरीर युद्व के मैदान में बदल जाता है। इस युद्व के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों एवं मांसपेशियों में भारी तोड़फोड़ होती है, जिससे शरीर कमजोर पड़ जाता है तथा मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।

अस्पताल द्वारा दी गई दवाइयां मरीज के शरीर को मजबूत बनाती हैं और वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकती हैं। कोरोना वायरस का जीवनकाल 9 से 10 दिन होता है, इसके बाद वायरस स्वयं ही मर जाता है।

बाबा : डॉक्टर साहब फिर हम अनपढ़ का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा।

डॉक्टर साहब: क्यों नहीं बाबा, गोली के साथ-साथ देशी नुस्खे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। गले को साफ रखने के लिए नमक के गरारे करो, श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए रोज उबलते पानी की भांप लो, खांसी ठीक करने के लिए अदरक, लोंग, इलायची, शहद, तुलसी, काली-मिर्च व हल्दी आदि का सेवन करो। तभी चौपाल पर एक आवारा कुत्ता आ जाता है।

बाबा: छोरे लठ्ठ लेकर इसको यहां से दूर भगा दो कभी इसे भी कोरोना हो रहा हो।

बंटी : तो तो...तो

डॉ. साहब: इसे मत बाबा, ये बीमारी सिर्फ इंसानों की है अभी पशु-पक्षी इससे सुरक्षित है।

बाबा: डॉ. साहब, मैं क्या डर रहा हूं मेरे तो वो नर्स कोरोना की सुई लगा कर गई है अब कोरोना मेरा क्या कर लेगा।

फौजी: जा गलतफैमी में मत पड़ो, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है।

बाबा: जब तो नर्स बेकार में ही सुई ठूंस कर चली गई। अब कै फायदा वैक्सीन का।

डॉ. साहब: बाबा वैक्सीन लगवाने के लाभ ही लाभ है। हां, यह मानता हूं कि वैक्सीन लगे हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है, लेकिन अनुभव बताते है कि ऐसे लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे है, उन्हें आईसीयू या वेंटीलेटर की जरूररत नहीं पड़ी। हल्के-फुल्के बुखार या सर्दी-खांसी के उपरांत सामान्य उपचार से वे ठीक हो रहे हैं।

बाबा राहत की सांस लेते हुए हुक्के का कस भरता है।

"समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है"

- जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

सफल बनने से ज्यादा उसूलों के प्रति प्रतिबद्ध रहो

रूना जैन पत्नी संजीव कुमार जैन / सहायक प्रबंधक/ मानव संसाधन

कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए,
कुछ लोग जो वक्त के सांचे बदल गए,

हाँ कुछ ऐसा ही फलसफा है जिदंगी का। अपने जीवन काल के अंत समय तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने व बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वक्त के साँचे में ढलने के बजाय अपने पुरुषार्थ आत्मबल के दम पर वक्त के सांचे तक बदल देते हैं। निश्चित ही ऐसे लोग महज सफलता के पीछे नहीं भागते, अपितु जीवन के कुछ महत्वपूर्ण, जन कल्याणकारी कार्यों के प्रति प्रतिबद्व रहकर उनका निर्वाह करते हुए अपने कार्य को अंजाम देते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआती दौर से लेकर अब तक इंसानी सभ्यता ने कई स्वरूप बदले हैं। समय ने बहुत करवटें ली हैं लेकिन इन सब के बीच मनुष्य की यात्रा का क्रम अनवरत रूप से जारी है। संस्कृत में एक उक्ति है-

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:" (मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए)। यूं तो हर इंसान के मन में कुछ आकाक्षाएं कुछ बदलाव करने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन बदलाव का इतिहास कुछ चंद लोगों के ही हिस्सों में आता है। कुछ ही हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराकर मरकर भी अमर हो जाते हैं। एक मूल्यहीन सफलता का उदाहरण वह भी है, जहां मां-बाप अपने लाड़ले को महंगी शिक्षा देकर विदेश भेजते हैं और वहीं लाड़ला उनकी मृत्यु हो जाने पर देश लौटने में समय की कमी और व्यावसायिक प्रतिबद्धता का बहाना बनाता है। टूटते परिवार और विखरते रिश्ते आज की इस तथाकथित मूल्यहीन शिक्षा के दुष्परिणाम है।

समाज या परिवार की परिकल्पना सही मायने में वहीं पूरी होती है जहां वह स्वार्थ रहित, मानवीय और सामाजिक बनकर रहे। जहां स्वार्थ और अमानवीयता और असमाजिकता हावी होती है वहां समाज व परिवार की दीवारें दरकने में देर नहीं लगती। मूल्यहीन समाज और मूल्यहीन शिक्षा में आर्थिक सफलता की अंधी दौड़ में मनुष्य अपनी जड़ों से कट रहा है। दुष्परिणाम यह है कि मिलावट, जमाखोरी, अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार देश की व्यवस्था में गहरी पेंठ बना चुका है। राजनीति व प्रशासन का क्षेत्र तो मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की कहीं अधिक मांग करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य प्रत्येक भारतीय से इन्हीं मूल्यों के अनुपालन की अपेक्षा रखते हैं लेकिन दुर्भाग्यवस इनकी प्रतिबद्वता न तो नीति नियंताओं में दिखती है न लोगों में। महात्मा गांधी सफलता और मूल्यों के द्वंद को बखूबी समझते थे और अक्सर कहा करते थे कि मूल्यों के अभाव में सफलता का निष्प्रयोजन व्यर्थ है। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन ही सफलता की अंधी भूख पर प्रतिबद्धता की उपादेयता को स्थापित करने का दर्शन है। 1915 में भारत आकर यहां की दशा को समझना, वकालत का पेशा छोड़ एक लंगोटी, लाठी लेकर सत्याग्रह का मार्ग अपनाना रामराज्य का संदेश देना राष्ट्रपिता के मूल्ययुक्त जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। "आत्मानुशासन थोपे हुए अनुशासन से सदैव बेहतर होता है" परंतु आत्मानुशासन की अवस्था एक मूल्युक्त व्यक्ति के जीवन में ही संभव है। मूल्य-विहीनता विध्वंस की ओर ले जाती है, जबकि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्वता निर्माण और सृजन की ओर। इसलिए यदि आप मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे तो सफलता खुद व खुद आपके कदम चूमेगी।

लालच का फल

हेमलता सुन्द्रियाल,
कार्यालय सहायक, कॉर्पोरेट कार्यालय

बहुत समय पहले की बात है एक ऊंची चोटी पर एक अदुभुत पक्षी रहता था जो कि सोने की बीट किया करता था। चूंकि पक्षी काफी ऊंची चोटी पर रहता था तो किसी को भी इस रहस्यमयी पक्षी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार एक बहेलिया कई दिन प्रयास करने के बाद भी कोई भी पक्षी पकड़ने में असमर्थ रहा। वह प्रयास करते-करते उसी ऊंची चोटी तक पहुंच गया जहां वह अदुभुत पक्षी रहता था। असफलता मिलने पर वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा लगने से वह गहरी नींद में सो गया तभी अचानक उनके माथे पर बड़ी जोर से कोई वस्तु आकर गिरी। वह अचंभित हो गया जब उसने देखा कि वह तो सोने का टुकड़ा है जो आकाश से गिरा। तभी एक ओर सोने का टुकड़ा उसके पास जमीन पर गिरा। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो वह हैरान हो गया। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था जो सोने की बीट करता था। उसने सोचा क्यों न इस अदुभुत पक्षी को पकड़कर मैं धनवान हो जांऊ। उसने जाल बिछाया पर पक्षी उड़कर कहीं और चला गया। काफी दिन के अथक प्रयासों बाद वह अद्भुत पक्षी को पकड़ने में सफल हुआ। पहले तो कई दिनों तक उसने पक्षी को अपने पास रखा व खूब सोना इकट्ठा किया फिर उसने सोचा क्यों न मैं राजा को यह पक्षी दे दूं। राजा खुश होकर मुझे खूब सारा इनाम देंगे व मुझे एक साथ बहुत सा धन मिल जाएगा। अगले ही दिन वह दरबार में गया व पक्षी को दिखाकर उसकी अद्भुत विशेषता का परिचय सबसे कराया। सबने कहा कि कभी कोई जीवन ऐसा नहीं हुआ जो सोने की बीट करता हो। तब बहेलिये ने राजा को कुछ देर प्रतीक्षा करके देखने को कहा। एक दिन पूरा हो जाने के बाद भी उस पक्षी ने एक बार भी बीट नहीं की। राजा ने अपने को ठगा सा महसूस किया और क्रोध में उस बहेलिये को पकड़कर जेल में डालने व फांसी की सजा का एलान कर दिया। बहेलिया मर चुका था। राजा के मंत्री ने सलाह दी कि इस बेजुबान पक्षी को उड़ा देना ही उचित होगा। राजा के आदेश से पक्षी को पिंजरे से छोड़ दिया गया। पिंजरा खोलते ही उसने सोने की बीट कर दी सब देखकर हैरान हो गए, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता पक्षी सभी की नजरों से ओझल हो गया।

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है"

- सुमित्रानंदन पंत

"विजय"

सौरभ कुमार राय,

कनिष्ठ कार्यकारी, सिगनल एवं दूरसंचार, कॉर्पोरेट कार्यालय

साथियो यह कविता, जिसका शीर्षक 'विजय' है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी विजय शब्द से भली भांति परिचित हैं जिसका अर्थ किसी की किसी पर जीत से है, परंतु मेरा मानना है कि विजय का सही मायने में अर्थ स्वयं की स्वयं पर जीत से है अर्थात विचलन से भरे मन के बहकावे में न आते हुए अपने लक्ष्य की ओर ऊर्ध्वोंमुख अग्रसर हो जाना।

जब कलम-किताब छोड़,
मन की गहराईयों में कहीं गोते लगाता हूँ ।

हर बार खुद को,
लक्ष्य से परे और दूर पाता हूँ
जब सुख-वार्ता में संलग्न हो,
समय की ग्रीवा में जड़ाए पादत्राण जड़ता बन जाता हूँ।

तभी मैं मेरे "मैं' के वक्तापव्यय प्रश्न सुन,
विभीषिका से आत्मसमर्पण रूपी आँचल में छिप जाता हूँ।

जब मोहित पर्यक पर सर्वस्य विरक्त हो,
स्पप्न में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नायक सिद्व कराता हूँ।

प्रश्नात्तुर मन पुन: प्रश्न करता,
स्वप्न का नायक मैं, इकलोक में भयासक्त क्यों हो जाता हूँ ?

अंतत: जब कलम पकड़,
लक्ष्य को थामने का सामर्थ्य दिखाता हूँ।

ऊहोपोह की श्रांति विस्मृत हो,
स्वयं की स्वयं पर विजय का डंका बजाता हूँ ।
स्वयं की स्वयं पर विजय का डंका बजाता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री ने न्यू खुर्जा और न्यू भाऊपुर से दो लॉन्ग हॉल फ्रेट गाड़ियों को दि. 29.12.2021 को झंडी दिखाकर रवाना किया

डाबला यार्ड (पश्चिमी डीएफसी)

न्यू किशनगढ़ और न्यू अटेली स्टेशन से लॉन्ग हाउल डबल स्टेक कंटेनर गाड़ी को दि. 07.01.2021 को झंडी दिखाकर रवाना किया।

मन से करें हिंदी को आत्मसात

राकेश शर्मा
सलाहकार / राजभाषा
कॉर्पोरेट कार्यालय

यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वाधीन देश के क्या लक्षण हैं तो मैं यही कहूंगा कि उस देश का अपना संविधान,राष्ट्रीय ध्वज,राष्ट्रीय गान एवं अपनी राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान हमने अपनाया और राष्ट्रीय गान को भी गर्व से गाया लेकिन जब बात राष्ट्र भाषा की आती है तो यह गर्व क्यों कुंद हो जाता है ? यह यक्ष प्रश्न सभी को स्वयं से अवश्य पूछना चाहिए। क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते हमारा यह परम कर्तव्य भी है कि हम अपनी भाषा एवं संस्कृति को सहेजे उसकी सुरक्षा करें और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय संस्कृति भारतीय भाषा अर्थात हिंदी के प्रचार-प्रसार प्रयोग से ही संभव एवं फलीभूत होगी। जितना हम राजभाषा और हिंदी का प्रयोग करेंगे उतना ही **"माथे की बिंदी हिंदी"** की सुदंरता में निखार आएगा।

14 सितंबर,1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर सरकार ने बेशक हिंदी का मान बढ़ाया लेकिन देश में जिस सम्मान की हकदार हिंदी थी वह मान उसे अभी तक नहीं मिला। साहित्य एवं हिंदी प्रेमी राष्ट्रवादियों के मन में इसकी टीस आज भी कहीं न कहीं जरूर कटोचती है। इतिहास गवाह है कि आजादी का समय रहा हो या वर्तमान समय भारतीय जन मानस में जन जागरण हिंदी के माध्यम से संभव हुआ है। प्रश्न यह नहीं कि अग्रेंजी को हटाया जाए या रखा जाए लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि अग्रेंजी आम-जन के बीच संपर्क की भाषा कभी नहीं बनी न ही भविष्य में बन सकेगी। आज फिर से जरूरत इस बात कि है कि हम हिंदी के बारे में पुन: विचार करें। यह इसलिए नहीं कि अन्य भाषा हिंदी से श्रेष्ठ या खराब हैं, बल्कि इसलिए कि संपर्क व कामकाज में हिंदी आज भी सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयोगी भाषा है।

बात आजादी के दीवानों की करें कि जेल में रहते हुए भी कइयों ने हिंदी सीखी क्योंकि उस समय उनके लिए हिंदी केवल राष्ट्रीयता का प्रतीक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का स्त्रोत भी थी। संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग नियमित तौर पर करने के लिए 15 वर्ष की अवधि निश्चित की थी। मंशा थी कि नई पीढ़ी देश की बागडोर संभाल लेगी परंतु कालचक्र ऐसा घूमा कि देश के अंदर ही इस कालावधि को बढ़ाने की मांग उठने लगी, नतीजतन अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए "राजभाषा अधिनियम 1963" लाया गया और यह विचार किया गया कि अंग्रेजी को हटाए बिना सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु क्या-क्या संभव उपाय किए जा सकते हैं। इस खोज के साथ ही 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन करके **"धारा 3(3)"** का प्रावधान कर अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया।

नियम धारा 3(3) का कार्यालय में प्रयोग: इसके अंतर्गत ऐसे दस्तावेज हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करना अनिवार्य किया गया जिनका सभी कार्यालय में प्रयोग होता है जैसे सामान्य आदेश, नियम, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें, निविदा फार्म आदि। धारा 3(3) को लागू करने के पीछे मूल भावना यही थी कि हिंदी के प्रयोग को आवश्यक किया जाए। इस धारा के माध्यम से एक साथ तीन काम किए गए। पहला कि सरकारी कार्यालयों के महत्वपूर्ण कागजों में हिंदी का प्रयोग शुरू करके संविधान के

पवित्र संकल्प की रक्षा की गई। दूसरा जो सरकारी कर्मचारी हिंदी में काम कर सकते हैं उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे इस धारा के अंतर्गत आने वाले कागज हिंदी में भी तैयार कर हिंदी में कार्य करना शुरू करें। तीसरा,जो काम करने लायक हिंदी नहीं जानते परंतु हिंदी पढ़ सकते हैं उनके लिए सरकारी कामकाजी हिंदी के कार्यालयी रूप का 'प्रशिक्षण" भी शुरू किया गया। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान इस तरह के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है।

राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने में सरकारी कर्मियों को जो दिक्कतें महसूस होती हैं वे प्राथमिक रूप से यही हैं कि वे हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप उसकी परिभाषिक शब्दावली से अनभिज्ञ हैं। अब यदि वे हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उन्हें परिभाषिक शब्दावली हिंदी में ही याद करने के साथ उसका अभ्यास करना होगा। मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि वह नई चीजों को अपनाने में हमेशा से ही संकोचशील रहा है। विकल्प के रूप में जब वह पुरानी चीजों का प्रयोग करता है तो नई चीजों से सदैव बचता है। वास्तविकता में यदि कर्मचारी शब्दावली का प्रयोग कर काम को करें तो वह आसानी से कार्यालयीन कार्य को हिंदी में कर सकते हैं। कुछ कर्मचारियों की शिकायत है कि हिंदी में बहुत क्लिष्ट शब्द हें, लेकिन यह पूरी तरह सच भी नहीं है। हंसी-मजाक के लिए कुछ शब्द स्वयं ही गढ़ लिए गए हैं जैसे (रेल के लिए 'लौह पथ गामिनी' और सिग्नल के लिए "'लौह पथ गामिनी आवागमन सूचक पट्टिका") इनका कोई भी संबंध पारिभाषिक शब्दावली से नहीं है और न ही हिंदी के किसी शब्दकोश से।

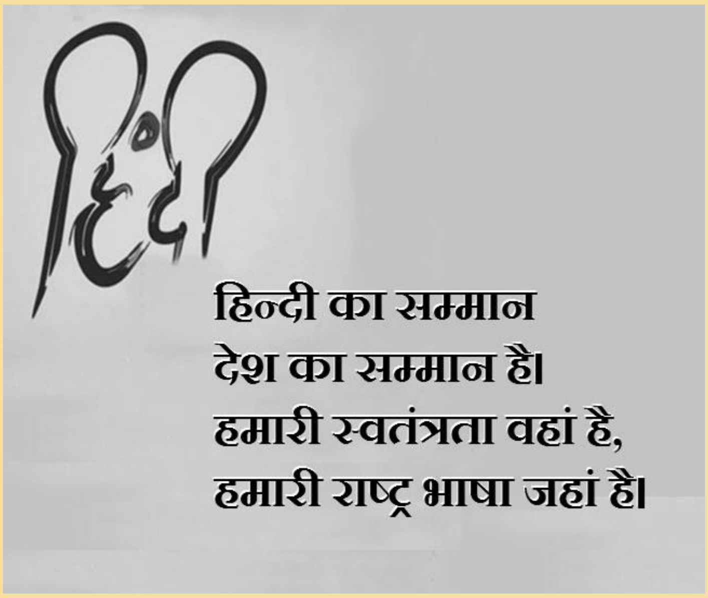

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) हमें पारिभाषिक शब्दों को याद करने और उनके अभ्यास का अवसर प्रदान करती है और इस प्रक्रिया को काफी रुचिकर व सरल भी बना देती है। इस धारा का मूल उद्देश्य भी तभी सार्थक हो सकता है जब किसी प्रपत्र के अंग्रेजी व हिंदी पाठ एक साथ प्रस्तुत हों और अन्य सभी भाषाओं में भी वे स्पष्ट रूप से हों। जब किसी प्रपत्र का पहले अंग्रेजी पाठ जारी होता है और बाद में हिंदी तो जाहिर है कि हम पाठक को जाने-अंजाने में प्राथमिक तौर पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मूल प्रपत्र/पत्र हिंदी में तैयार किए जाएँ । अनुवादित प्रपत्र की मूल भावना कहीं न कहीं वह नहीं रहती जो उसके मूल स्वरूप में होती है। जब हिंदी पाठ अस्पष्ट होता है और उसे समझने के लिए अंग्रेजी पाठ का सहारा लेना होता है तो केवल यह धारा ही नहीं अपितु पूरी राजभाषा नीति का प्रयोजन नष्ट हो जाता है। राजभाषा नीति का प्रयोजन तब और बेहतर ढंग से हो सकेगा जब अंग्रेजी पाठ लिखने वाले ही अधिकारी या कर्मचारी उसका हिंदी पाठ तैयार करें या स्वयं करवाएं। चूंकि वे ही उस पाठ की मूलभावना को समझते हैं और जानते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

अत: अंत में यही कहूंगा कि संविधान ने जब हिंदी को राजभाषा बनाया है तो हम सभी का कर्तव्य है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग पूरी ईमानदारी से सुनिश्चित करें।हिन्दी में कार्य करके हम न केवल राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं अपितु अपने संस्था के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए देश के संविधान का सम्मान करते हैं।

बचपन को ढूंढने बैठी हूं

चित्रा सिंह,स्टेनोग्राफर,
कॉर्पोरेट कार्यालय

शाम ढले आसमान के तले, मैं आँखें मूँद के बैठी हूँ।
फुर्सत के कुछ लम्हों में बचपन को ढूंढने बैठी हूँ।

हैं गम भी बहुत परेशानियाँ भी हैं।
वक़्त की दी हुई निशानियाँ भी हैं,
और साथ में हैं दर्द कई, उन सब को भूलने बैठी हूँ।
फुर्सत के कुछ लम्हो लम्हों में बचपन को ढूंढने बैठी हूँ।

कभी खुले आसमान के नीचे गलियों में दौड़ जब लगती थी
माँ- पिताजी प्यार बहुत करते, डॉट कभी कभी पड़ती थी
उन्हीं बीते पलों को आज मैं फिर से टटोलने बैठी हूँ।
फुर्सत के कुछ लम्हों में बचपन को ढूंढने बैठी हूँ।

वो बिजली का आना जाना मिलकर सबका शोर मचाना।
रात को पढ़ना लालटेन में, भोर भये में फिर उठ जाना।
विद्यालय जाती उस पगडंडी पर घूमने बैठी हूँ।
फुर्सत के कुछ लम्हों में बचपन को ढूंढने बैठी हूँ।

आज कहाँ वो गलियां हैं, कहाँ वो चौबारे।
कहाँ गये वो साथी, जो हर शाम हमको पुकारें,
याद जो आये उन किस्सों को आज मैं बुनने बैठी हूँ।
फुर्सत के कुछ लम्हों में बचपन को ढूंढने बैठी हूँ।

बाधक नहीं समन्वय का माध्यम हो भाषा

आकाशदीप भारद्वाज,
कार्यालय सहायक राजभाषा,
कॉर्पोरेट कार्यालय

भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहां पर **"कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी"**। ऐसे में भारत में किसी एक भाषा के साथ समन्वय स्थापित करना आज भी बड़ी चुनौती है। भाषा की महत्ता के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं:

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल

भारतेंदु निज भाषा प्रेमी थे। वह उसी निजभाषा की उन्नति में देश का कल्याण समझते थे जो आम लोगों के बीच समन्वय का माध्यम बने। समन्वय वाली भाषा ही जन कल्याण का माध्यम बनती है। सशक्त अभिव्यक्ति भी उसी भाषा के द्वारा संभव है जो सहज हो, जिसके बोलने चालने में किसी स्तर पर अत्यधिक कठिनाई महसूस न हो। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा करीब एक हजार से अधिक अन्य भाषाएं हैं जो भारत में विभिन्न क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं। हम जिस भाषा को अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं वह कामकाज में प्रयोग नहीं हो सकती और जो कामकाज में लाते हैं वह बोलचाल में नहीं आ सकती। ऐसे में जरूरी है कि दोनो के बीच का अंतर समझा जाए।

आजादी के दौरान जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत पर थोपी गई अंग्रेजी भाषा के लिए भी संघर्ष किया लेकिन विडंबना रही कि आज भी भारत पूरी तरह अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया। युवाओं के अंदर यह हीन भावना है कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना वह अपूर्ण है। यह सच है कि भूमंडलीकरण एवं कम्प्यूटर की दुनिया में अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा है। बाकी सभी भाषाएं अभी भी हासिए पर हैं, चाहे वह हिंदी हो या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। तकनीकी के नए दौर में प्रतिस्पर्धा के बीच आज भी हिंदी की तुलना में अग्रेंजी का ज्ञान रखने वाले युवाओं के पास रोजगार के अधिक अवसर है। सॉफ्टवेयर उद्योग, बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर्स आदि जगह अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

भाषायी आधार पर राज्य निर्माण की मांग एवं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने पर विरोध दक्षिण भारत तथा उत्तर-पूर्वी भारत से उत्पन्न हुआ। वर्तमान समय में भी बिहार, राजस्थान से समय-समय पर यह मांग उठती है कि उनकी स्थानीय भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसलिए यहां अब यह प्रश्न उठता है कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए ? इसका उत्तर यही होगा कि भाषा का स्वरूप वही होना चाहिए जो समन्वय स्थापित करे न कि अवरोध बने। भाषा जब समन्वय बनती है तो इसके प्रत्यक्ष रूप से कई लाभ देखने को

मिलते हैं। समन्वय भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता को और अधिक मजबूत बनाती है। भाषा के समन्वय रूप में आने पर क्षेत्रीय एवं आर्थिक विषमता में कमी आती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं।

आज के भारत को देखा जाए तो केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भाषायी मुद्दा इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है और राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर भाषा समन्वय के रूप में कार्य कर रही है। सरकारों को भारतीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान की वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देना चाहिए। एक राष्ट्रीय भाषा के निर्माण पर भी आम सहमति बनाने के प्रयास जारी रखने चाहिए। अंत में इस एक लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि -

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।

भारत हमेशा से "वसुधैव कुटुम्बकम के द्वारा सीख देता रहा है और आगे भी वह विश्व को इसके लिए प्रेरित करेगा। विविधताओं के वाबजूद भारत का कोस-कोस का पानी भारत को मजबूती प्रदान करता है और आगे भी यह मजबूती प्रदान करता रहेगा।

शब्दावली

परित्याग	Abandonment	संक्षिप्ति	Abatement
योग्यता	Ability	उन्मूलन	Abolition
निराकरण करना	Abrogate	सार	Abstract
क्रियाकलाप	Activity	तदर्थ	Ad -hoc
कार्रवाई	Action	सक्रिय करना	Activate
चल - सीढ़ी	Escalator	अनिवार्य	Essential
बेदखली	Eviction	सबूत / साक्ष्य	Evidence
चिकित्सा अवकाश	Medical leave	राजभाषा	Offical language
सरकारी / शासकीय बैठक	Official meeting	कार्यालय परिसर	Office permises
कार्यालय नियमावली	Official manual	कार्यालय टिप्पणी	Office Note
संगठन के प्रति प्रतिबद्धता	Organisational Commitment	चित्रात्मक	Pictorial
उप-नियम	Sub Rule	टंकण	Typing

"हिंदी देश की एकता की कड़ी है"-

- डॉ. जाकिर हुसैन

मॉरीशस और हिंदी

अमित सक्सेना
कार्यालय सहायक / राजभाषा,
कॉर्पोरेट कार्यालय

मॉरीशस के नायक अनिरुद्ध जगन्नाथ ने इसी वर्ष जून में दुनिया को अलविदा कह दिया। 2003 से 2012 तक वह मॉरीशस के राष्ट्रपति रहे और 1982 से 2017 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र प्रविंद्र जगन्नाथ के लिए पद छोड़ दिया। 2020 में जगन्नाथ को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद से विभूषित किया गया। मॉरीशस के इस नायक का जाना भारत के लिए इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वह निश्चित ही सराहनीय है।

अनिरुद्ध जगन्नाथ के पिता और चाचा गिरमिटिया मजदूर के रूप में गन्ने की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा मॉरीशस ले जाए गए थे। 1930 में उनका जन्म मॉरीशस में ही हुआ। पहली बार वह 1963 में वहां की संसद में चुने गए और वर्ष 1976 में विपक्ष के नेता बने और 1982 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। राजधानी पोर्ट-लुई में 18 से 20 अगस्त 2018 में हुए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताते हुए कहा था कि 'हमारे पूर्वजों ने भारत से आकर खून पसीने से मॉरीशस को गढ़ा और हिंदी ने यहां की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी पूर्ण समर्थन किया था। विश्व हिंदी सचिवालय के निर्माण का कार्य भी उनके ही प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ। वर्ष 2008 से सचिवालय में अधिकारिक रूप से काम शुरू हुआ। मॉरीशस के गांव भी भारत से मिलते जुलते या यूं कहें कि भारत जैसे ही है तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान में हमारे गांवों में बेशक तमाम हिंदी के शब्द आधुनिकता की भेंट चढ़ गए हों लेकिन वहां अभी भी बचे हुए हैं। हिंदी के उत्थान को लेकर चुनौतियां वहां भी ढेर सारी थीं लेकिन अनिरुद्ध जैसे नायकों ने वहां हिंदी की बेहतर स्थिति बनाने रखने के लिए सराहनीय कार्य किए।

पर्यावरण ही जीवन है

अंशुल
कार्यालय सहायक / मानव संसाधन,
कॉर्पोरेट कार्यालय

धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं वे सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के वास्तवितक स्वरूप को बनाए रखना होगा, पूरे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी पर ही जीवन है। वर्षो से प्रत्येक वर्ष 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। जागरुकता के उद्देश्य से वृहद रूप में पौधे रोपे जाते हैं। चूंकि पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य एक पल इसके बगैर नहीं रह सकता। हरे-भरे पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश इन्ही पांच तत्वों से मनुष्य का जीवन है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने चारों ओर की सुंदर प्रकृति को सहेज कर रखता था। अपने आस-पास के पेड - पौधे की भी पूरी लगन से देखभाल करता था, उसके चारों ओर एक सुंदर और स्वस्थ्य वातावरण रहता था। धीरे-धीरे समय बदला और मनुष्य ने अपने जीवन में नए-नए अविष्कारों से न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल कर लीं। धीरे-धीरे सब शहरीकरण में परिवर्तित होता रहा। इन सभी उपलब्धियों के साथ हम पर्यावरण का संरक्षण भूलते गए। जाने-अनजाने में प्रकृति के मूल स्वरूप के साथ छेड़-छाड़ की जा रही है। इसी छेड़-छाड़ का नतीजा है कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप को खोती जा रही है। नतीजतन तमाम बीमारियां मनुष्य को घेर रही हैं। प्राणदायिनी ऑक्सीजन का संकट भी कोरोना काल में किस प्रकार रहा और कितने लोगों की जाने गई यह सभी ने देखा। यह संकट अचानक ही नहीं उभरा बल्कि मनुष्य के लालच ने ही यह संकट खड़ा किया है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि प्रकृति सभी की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन लालच नहीं। लेकिन मनुष्य के लालच ने आज प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई मुश्किल ही होगी। अभी भी यदि नहीं सचेत हुआ गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इस ग्रह पर मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ ही अशुद्व है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए अभी भी समय है कि हमको विकास की अंधी दौड़ से बचना होगा। जागरुक होकर प्रकृति के मूल स्वरूप की रक्षा करते हुए विकास की मीनारें खड़ी करनी होगी। पर्यावरण जागरुकता अभियान सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित न रखते हुए यथार्थ रूप में रोपे गए पौधों की सुरक्षा व पूर्व के विशाल वृक्षों की सुरक्षा व जीवनदायनी औषधीय पौधे रोपने का संकल्प लेना होगा। हम सभी अपना-अपना कर्तव्य जैसे की घरों में जल की व्यर्थ बर्बादी, घर का कचरा सूखा-गीला अलग करके एवं वाहनों का प्रयोग सिर्फ बहुत अधिक जरूरत होने पर या इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर हम प्रकृति के बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है साथ ही अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

प्रकृति की जीवन शैली

गौरी शंकर शर्मा
कार्यालय सहायक / पुस्तकालय,
कॉर्पोरेट कार्यालय

मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्व है एवं कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अन्दर ही विध्यमानहै। मनुष्य जैसा चाहता है, जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। आत्मा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर है, वही ही बाहर निकालता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो, जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास आप ही करता है। वह स्वयं ही अपने आसपास के परिवेश से स्वयं को शिक्षित करता है। मनुष्य बालक और पौधे दोनों के विकास में बस सहायता का केंद्र है। इसलिए मैं का अभिमान व्यर्थ है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता अर्थात मन की एकाग्रता ही शिक्षा का संपूर्ण सार है। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी इस एकाग्रता को संचित रखने पर ध्यान नहीं दे रही, हाथों की अंगुलियों के सहारे आभासी दुनिया में यह युवा पीढ़ी अपने कीमती समय को यूं ही व्यर्थ गवां रही है। आत्मविश्वास एवं मनोबल व्यक्तित्व विकास के मौलिक सूत्र है। इनके अभाव में किसी भी प्रकार की सफलता और सिद्दि के द्वार पर नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य में विकास की असीम संभावनाएं होती हैं, पर जब तक उसके विचारों पर निराशा एवं हीनता का आवरण होगा, तब तक उसे अपनी संभावनाओं और शक्तियों पर विश्वास नहीं होगा, फिर कई बार हम एक-दो कोशिशों में ही हार मान बैठते हैं जो ठीक नहीं है। आशा रूपी दीप को सदा हमें प्रज्जवलित रखना चाहिए।

कोरोना महामारी ने मनुष्य को प्रकृति और ईश्वर के प्रकोप से परिचित कराया। अदृश्य रूप में इस वायरस ने दुनिया को दिखा दिया कि वह बेसक अंतरिक्ष का बादशाह बन जाए लेकिन प्रकृति के आगे यह बादशाहत नहीं चलने वाली। जब-जब प्रकृति का मूल स्वरूप अपने अस्तित्व को खोएगा प्रकृति किसी न किसी रूप में मनुष्य को आगाह करती रहेगी। समय रहते यदि मनुष्य सचेत न हुआ तो वह पृथ्वी से अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाएगा। यदि प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं रूका तो एक समय वह भी आएगा जब अंतरिक्ष के पृथ्वी गृह पर मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में हम एक साथ इंसान के कई रूपों से परिचित हुए। कहीं दिल खोलकर सामर्थ्यवान लोगों ने जरुरतमंदों की मदद की तो कहीं इन्हीं में से कुछ सामर्थ्यवान मजबूरों को लूटते भी नजर आए। देश में कोरोना रोधी दवाइयां हों या उसके बचाव से संबंधित उपकरण भरपूर मात्रा में लोगों ने इनकी कालाबाजारी कर अपनी जेब भरी। ऐसे लोगों ने शायद इस आपदा से भी सबक नहीं लिया। ऐसे लोगों को सोचना जरुर चाहिए था कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा कुछ भी न साथ जाएगा। साथ जाएगा तो इंसानियत और उसके अच्छे कर्म। कोरोना संकट अभी कमजोर जरूर हुआ है टला नहीं है। ऐसे में सभी का यह प्रयास रहना चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस विपरीत संकटकाल में जरुरतमंदों की मदद करें और इस धरा धाम पर अपने पुण्य को संचित करें। दूसरों की मदद करने वालों की ईश्वर भी सदैव मदद करते हैं।

कोरोना - सरकार और आम-जन मानस

ईशांत
कार्यकारी सहायक / प्रशासन,
कॉर्पोरेट कार्यालय

आज कोरोना वायरस, जिसे चीनी या वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, इस वायरस ने लगभग पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया है। महामारी से मरने वालों की बड़ी संख्या के कारण सिर्फ संक्रमित लोगों में ही नहीं, बल्कि जिनमें लक्षण नहीं हैं, उनमें भी खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान त्रासदी के समक्ष वे प्रयास बहुत कम हैं। कम ज्यादा मात्रा में इसी प्रकार की स्थिति का सामना अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील जैसे देश पहले ही कर चुके हैं। कई देशों में यह वायरस अपने नए स्वरूप में फिर से जनमानस के लिए संकट पैदा कर रहा है।

त्रासदी में लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर मुनाफा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। जहां तक दवाइयों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों और उससे ज्यादा मुनाफाखोरी का सवाल है, उसके पीछे देश के व्यापारियों की जमाखोरी से कहीं ज्यादा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनों के कारण दवाइयों और यहां तक कि स्वास्थ्य उपकरणों आदि में भी इन कंपनियों का एकाधिकार स्थापित है, जिससे इनकी ऊंची कीमतें ये कंपनियां तय करती हैं। हाल ही में हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 3,000 रुपये से 5,400 रुपये थी, जिसे भारत सरकार ने नियंत्रित तो किया, लेकिन उसके साथ ही उसकी भारी कमी भी हो गई। कालाबाजारी इतनी हुई कि मरीजों से इंजेक्शन के एवज में 20 से 50 हजार रुपये तक वसूले गए लेकिन इस कीमत के वाबजूद कईयों की जानें गई। देश में सरकार किसी भी दवाई के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर उसके उत्पादन को सुनिश्चित कर सकती थी। इस कारण भारत का दवा उद्योग न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के बनने के साथ ही ट्रिप्स (व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार) समझौता लागू हो गया था। इस समझौते में सदस्य देशों पर यह शर्त लगाई गई थी कि वह पेटेंट समेत अपने सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को बदलेंगे और उन्हें सख्त बनाएंगे (यानी पेटेंट धारक कंपनियों के पक्ष में बनाएंगे)। इस समझौते के लागू होने से पहले भी इसका भारी विरोध हुआ था, क्योंकि यह तय था कि इस समझौते के बाद दवाइयां महंगी होंगी और जन स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा।

ऐसे में जागरूक जन संगठनों और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं के प्रयासों से विश्व व्यापार संगठन और अमीर मुल्कों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने पेटेंट कानूनों में संशोधन करते हुए जन स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का काफी हद तक निराकरण कर लिया था। हालांकि प्रक्रिया पेटेंट के स्थान पर उत्पाद पेटेंट लागू किया गया और पेटेंट की अवधि भी 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जेनेरिक दवाइयों

के उत्पादन की छूट पुन: पेटेंट की मनाही, अनिवार्य पेटेंट का प्रावधान, अनुमति पूर्व विरोध आदि कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय पेटेंट कानून में रखे गए थे, जिससे काफी हद तक जन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सका। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका समेत अन्य देशों की सरकारों ने भारत पर यह दबाव बनाए रखा कि भारत अपने पेटेंट कानूनों में ढील दे और अपने पास उपलब्ध प्रावधानों का न्यूनतम उपयोग करे।

संशोधित भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) के अध्याय 16 और ट्रिप्स प्रावधानों के अनुसार, अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। अनिवार्य लाइसेंस से अभिप्राय है, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस यानी अनुमति, जिसके अनुसार किसी उत्पादक को वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयों यानी रेमडेसिविर और अन्य दवाओं के संदर्भ में यदि सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर दे, तो भारत का कोई भी फार्मा निर्माता सरकार द्वारा निर्धारित राशि (जो अत्यंत कम होती है) पेटेंट धारक को देकर उन दवाइयों का उत्पादन देश में कर उनको प्रयोग एवं बेचने हेतु कर सकता है।

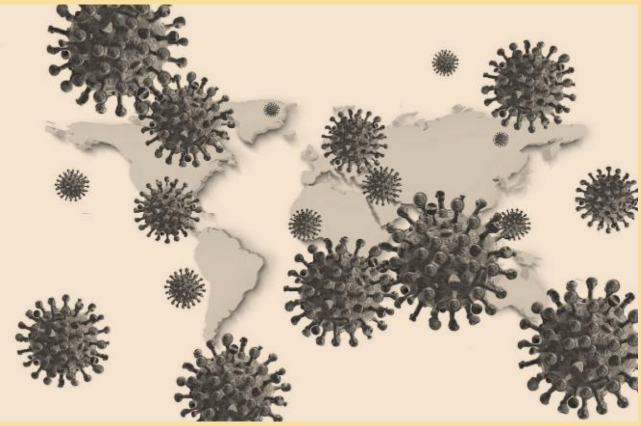

गौरतलब है कि ये कंपनियां महामारी के बढ़ते प्रकोप से मुनाफा कमाने की फिराक में हैं। अमेरिका सरीखे देशों की सरकारें इन दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी के माध्यम से विकासशील और गरीब देशों के शोषण की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में भारत में वैक्सीन उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अमेरिका सरकार ने अड़ंगा लगाया था। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव के कारण उसे रोक हटानी पड़ी। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में भी ट्रिप्स प्रावधानों में छूट के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया है। ऐसे में सरकार को अपने सार्वभौम अधिकारों का उपयोग करते हुए ये अनिवार्य लाइसेंस तुरंत देने चाहिए, ताकि महामारी से त्रस्त जनता को कंपनियों के शोषण से बचाया जा सके।

गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बौद्धिक संपदा (ट्रिप्स) एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा स्वीकृत की गई, जिसमें सरकारों के इस सार्वभौम अधिकार को मान्य किया गया कि किसी भी आपातकाल अथवा अत्यधिक तात्कालिकता की स्थिति में सदस्य देशों को अधिकार है कि वे ट्रिप्स के प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना से संबंधित दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस लागू करने के लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही? वक्त आ गया है कि सरकार इस दिशा में विचार करे।

"अंग्रेजी में स्वतंत्र भारत की गाड़ी चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है"

- महात्मा गांधी

अपने मां-बाप को बूढ़ा होते देख रही हूँ मैं

हिमानी,
कार्यालय सहायक,
कॉर्पोरेट कार्यालय

हर दिन हर महीनें में कुछ खो रही हूँ
लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है
कि मैं अपने माँ-बाप को बूढ़ा होते देख रही हूँ....

वो पीठ जो बचपन में मुझे, घोडा बनकर सैर कराती थी,
आज वही पीठ कमजोर होते देख रही हूँ मैं...
स्कूल में थक हारकर घर वापस जाने पर
मां के जिन हाथों से खाना खाया करती थी
आज उन्हीं हाथों को कांपते हुए देख रही हूँ....

हाँ मुझे दुख है, कि मैं अपने मां-बाप को
बूढ़ा होते देख रही हूँ......

जिन दो पहियों पर पापा मुझे उठा के बैठाया करते थे
उसी पर आज उन्हें सहारा लेते हुए बढ़ते हुए देख रही हूं मैं
जिन का मोबाइल चुरा कर गेम खेला करती थी मैं
आज उन्हें ही स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ मैं..

हर दिन हर महीने में कुछ खो रही हूँ मैं
लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि
अपने माँ-बाप को बूढ़ा होते देख रही हूँ मैं...

"हिंदी को गंगा नहीं समुद्र बनाना होगा"

- आचार्य विनोबा भावे

विकास का मूल मंत्र जनसंख्या नियंत्रण

श्याम सुंदर शर्मा
सहायक प्रबंधक / मानव संसाधन,
कॉर्पोरेट कार्यालय

किसी भी देश के विकास को यदि परखना हो तो यह ही सर्वप्रथम देखा जाएगा कि वहां रहने वाली जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वहां की सरकार किस प्रकार कर रही है। आज भी किसी आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान ही हैं। जिस देश में जनता को रोटी कपड़ा मकान व जीने की स्वतंत्रता हो वह ही विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कोई भी देश यूं ही विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा नहीं हो जाता उसके लिए काफी कवायद होती है। विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार समेत एक अन्य राज्य सरकार ने इस ओर प्रभावी कदम उठाए हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु ये राज्य कानून के रास्ते चले हैं। केंद्र सरकार ने भी विकराल समस्या से निपटने के लिए काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अब केंद्र से भारत की जनता को उम्मीद है कि वह आगामी संसद सत्र में इस पर कानून लाए।

11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने आम सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया। दरअसल जब दुनिया में मानव सभ्यता विकास की ओर अग्रसर थी तब जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता था लेकिन 1987 तक दुनिया की जनसंख्या पांच अरब के करीब पहुंची तो यह चिंता का विषय बन गई और दुनियाभर के लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत हुई। भारत भी इस चिंता पर तेजी से काम कर रहा है। जनसंख्या का बढ़ना भारत के लिए भी परेशानी का कारण है चूंकि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है ऐसे में संसाधनों का भरपूर मात्रा में उपयोग हेतु व सभी तक पहुंच के लिए जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण समय की मांग है। वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक दुनिया की आबादी सात अरब 87 करोड़ 85 लाख से अधिक है। वर्तमान में चीन एक अरब 44 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया में प्रथम है वहीं भारत एक अरब 39 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अनुमान है कि 2025 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी न पछाड़ दे। ऐसे में समय की यह मांग कि जनसंख्या पर प्रभावी कानून बनाया जाए। सवाल है कि बढ़ती जनसंख्या पर यदि प्रभावी नियंत्रण कर लिया जाए तो क्या भारत का विकास तीव्र गति से संभव है? उदाहरणस्वरूप विश्व में कई देशों ने अपने देश की जनसंख्या एवं वहां मौजूद संसाधनों के बीच में सामजस्य बैठाने हेतु प्रभावी उपाय परिवार नियंत्रण को कानूनी रूप दिया, किंतु एक समय ऐसा आया कि वहां की कार्यशील जनसंख्या की अपेक्षा वृद्धों (अर्थव्यवस्था पर बोझ के रूप) में वृद्धि हुई।इससे इन देशों के सामने मानव संसाधन की समस्या उत्पन्न हुई। उदाहरणस्वरूप चीन द्वारा किया गया नियंत्रण। किंतु दूसरी तरफ आप जापान का उदाहरण भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक छोटा देश सीमित संसाधनों के वाबजूद अपनी नवाचार और तकनीकी शक्ति के बल पर विकसित देशों के बराबर खड़ा है। इस प्रक्रिया को ठीक से समझने हेतु हमें विकास के स्वरूप को समझना होगा। चूंकि सिर्फ जनसंख्या पर नियंत्रण ही विकास का मंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि नियंत्रण से हम महिला को सशक्त बना सकते हैं लेकिन उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु

बेहतर नीतियों का निर्माण एवं उनका अनुपालन भी आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण द्वारा हम जनसंख्या व उसके अनुपात में संसाधनों का संतुलन तो बना सकते हैं लेकिन आवश्यकता है संसाधनों के उचित दोहन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की। आवश्यकता है नवाचार एवं उचित तकनीकी प्रौद्योगिकी। भारत की आज 40 प्रतिशत जनसंख्या 18-56 आयु वर्ग की है जो कि एक कार्यशाली श्रेणी में आती है। आप जानते हैं कि किसी भी देश के युवा के जीवन का सर्वप्रथम प्रश्न उसका जीवकोपार्जन होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि सरकार रोजगार सृजन के स्तर को बढ़ावा दें ताकि भारत अपनी जनांकिकीय लाभांश की देश के वृद्धि एवं विकास में शामिल कर लाभ प्राप्त करे। सराहनीय है कि भारत ने रोजगारपरक तकनीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर दिया। स्टार्टअप, स्टैंअप इंडिया, मेकइन इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। इन योजनाओं का लाभ देश के युवा बढ़ चढ़कर ले रहे हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा हम इस दिशा में भी सकारात्मक कदम बढ़ाए। भारत के लोग भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरुक होकर सरकार की सहायता करें।

"हिंदी के शब्द भंडार में कमी नहीं है, कमी है हमारी राष्ट्रीय निष्ठा की, देश-भक्ति की भावना की"

- डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन'

राजभाषा प्रावधानों को समझें

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है।
राजभाषा नियम 1976 के अनुसार पूरे भारत वर्ष को तीन भाषिक क्षेत्रों में बांटा गया है।

'क' क्षेत्र	-	हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि
'ख' क्षेत्र	-	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ आदि
'ग' क्षेत्र	-	'क' तथा 'ख' क्षेत्र में दिए गए राज्यों के अलावा शेष सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रलेखों को हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में एक साथ तैयार एवं जारी किया जाना अनिवार्य है:-

1. संकल्प
2. सामान्य आदेश, ज्ञापन, परिपत्र
3. अधिसूचनाएं
4. प्रेस विज्ञप्तियां / टिप्पणियां
5. संविदाएं
6. करार
7. लाइसेंस
8. परमिट
9. टेंडर फार्म और टेंडर नोटिस
10. नियम
11. संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा)
12. संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट
13. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट (संसद क एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा)
14. **राजभाषा नियम 1976** के **नियम 5** के अनुसार किसी भी क्षेत्र, राज्य सरकार, व्यक्ति या केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिया जाएगा।

- **राजभाषा नियम 1976 के नियम (10)4** के अनुसार केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों, जिनमें **80%** या उससे अधिक अधिकारियों / कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे तथा ऐसे कार्यालयों में **राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4)** के अंतर्गत हिंदी में काम करने के लिए विषय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 11** के अनुसार सभी कोड, मैनअुल तथा प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में मुद्रित / साइक्लोस्टाइल / प्रकाशित किए जाएंगे।
- राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार अहिंदी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लगाए जाने वाले सभी नामपट्ट तथा सूचना पट्ट क्रमश: क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी के क्रम में तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के क्रम में लगाए जाएंगे।
- **राजभाषा नियम 1976 के नियम 12** के अनुसार कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उतरदायित्व है कि वह कार्यालय में राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको सिखाना है
हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है

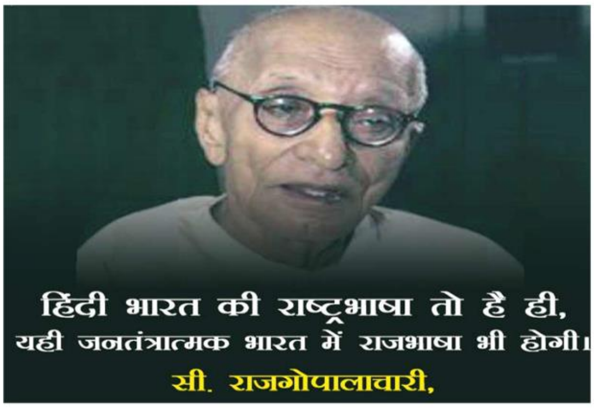
हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही,
यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।
सी. राजगोपालाचारी,

राजभाषा
हिंदी
के बढ़ते कदम

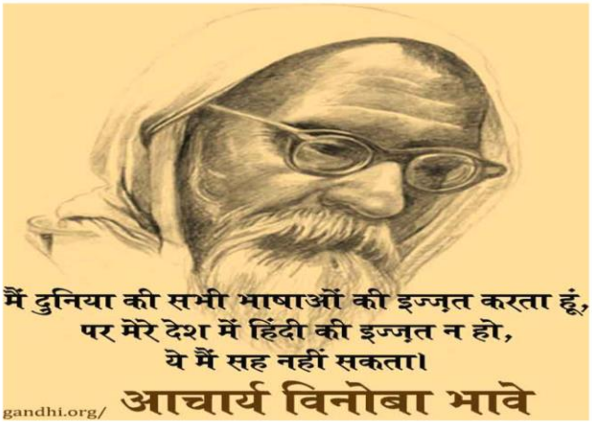
मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं,
पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो,
ये मैं सह नहीं सकता।
gandhi.org/
आचार्य विनोबा भावे

देश में अंग्रेजी की आवश्यकता है,
किन्तु अपनी भाषा का नाश करने के लिए नहीं।
-महात्मा गांधी

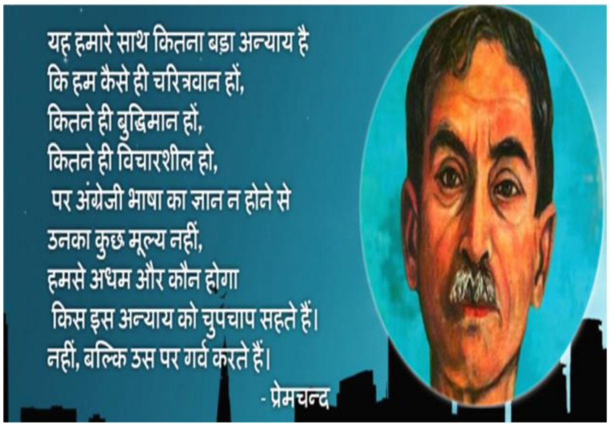
यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है
कि हम कैसे ही चरित्रवान हों,
कितने ही बुद्धिमान हों,
कितने ही विचारशील हो,
पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से
उनका कुछ मूल्य नहीं,
हमसे अधम और कौन होगा
किस इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं।
नहीं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं।
- प्रेमचन्द

हिंदी हमारी भाषा ही नही
हमारी अभिलाषा भी है।

नोटिंग में प्रयुक्त टिप्पणियों के अंग्रेजी-हिंदी शब्द

अंग्रेजी	हिंदी
Abide by	पालन करना
Above cited /Above mentioned	उपर्युक्त उल्लिखित
Noted	नोट किया गया
A brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे प्रस्तुत है
Acceptance is awaited	स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
Accepted on trial basis	परीक्षण के आधार पर स्वीकृत
According to the rules in vogue	प्रचलित नियमों के अनुसार
Acknowledge receipt ot the letter	पत्र की पावती भेजें
Action under consideration	कार्रवाई विचाराधीन है
Advise accordingly	तदनुसार, सूचित करें
After issue	जारी होने के बाद
Ban on recruitment	भर्ती पर रोक
Backward reference	पिछला संदर्भ
Bill outstanding	बकाया बिल
Call for the file	फाइल मंगाई जाए
Cary out orders	आदेश का पालन करें
Charge handed over	कार्यभार सौंप दिया गया
Check and remark	जांच करें और टिप्पणी दें
Checked and found correct	जांच की एवं सही पाया
Conduct is questionable	आचरण आपत्तिजनक है
Due under the rules	नियमों के अधीन
Early action in the matter is requested	इस मामले में शीघ्र कार्रवाई हेतु अनुरोध

सूक्तियां

1. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है।

सुमित्रानंदन पंत

2. हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।

पुरुषोत्तम दास टंडन

3. देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।

रवि शंकर शुक्ल

4. हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेदभाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण करता है।

मदन मोहन मालवीय

5. भारतीय भाषाएं नदियां है, और हिंदी महानदी

रवींद्रनाथ ठाकुर

6. सचमुच उस समय मेरी आँखे भर आती है, जब मेरे पास लोगों के पत्र अंग्रेजी में आते हैं।

महादेवी वर्मा

उ.रे. सेंट्रल अस्पताल में 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया

मै॰ टाटा की ओर से सीएसआर के अंतर्गत दि. 09.06.2021
को ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया

नर्मदा पुल – गर्डर लॉचिंग कार्य

अटेली में ट्रेक्शन सब - स्टेशन

माही पुल – सुपरस्ट्रक्चर कार्य

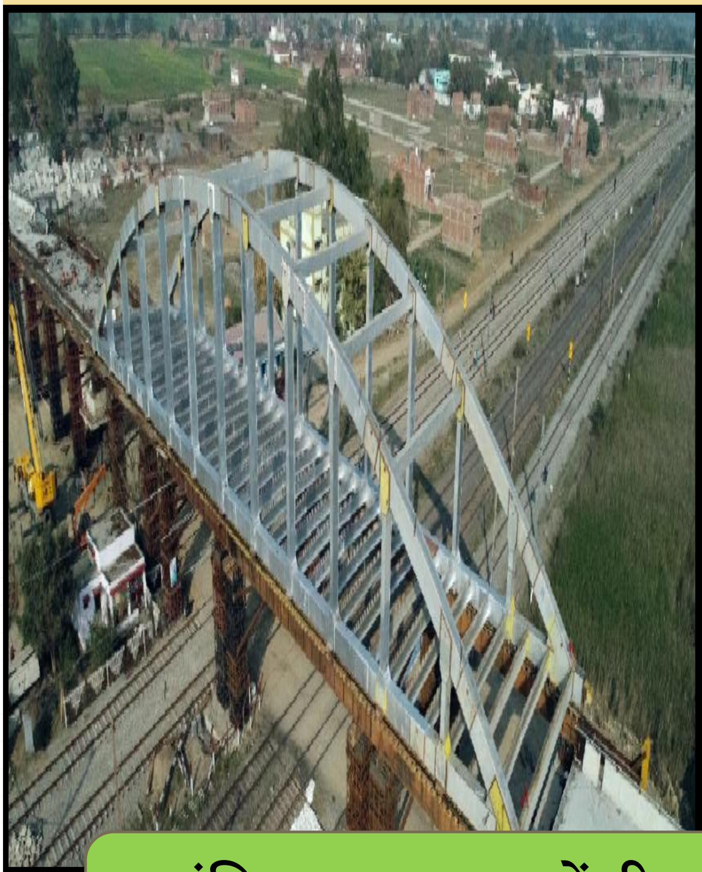

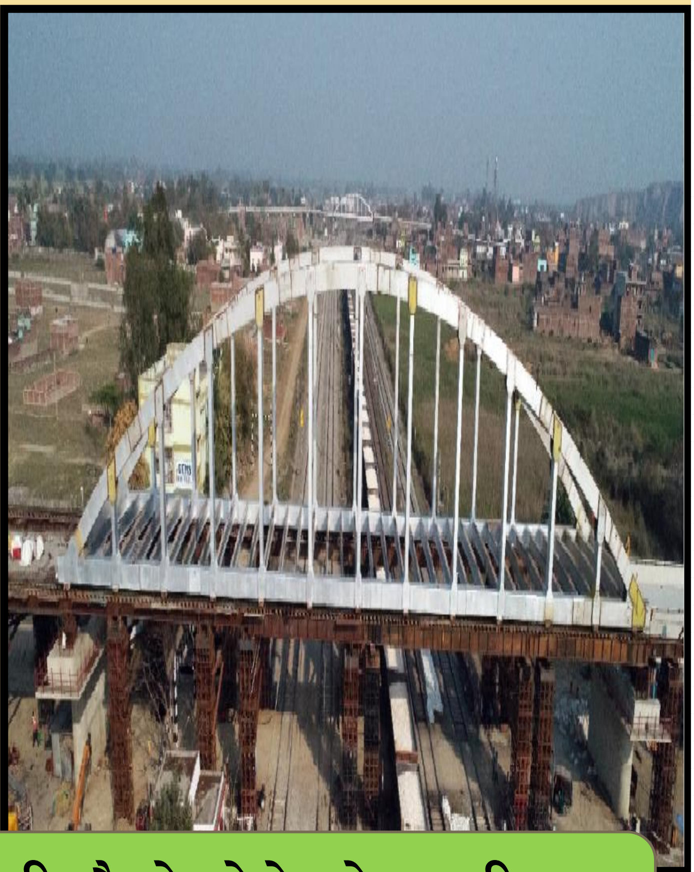

करबंडिया – सासाराम में डीएफसी और रेलवे ट्रेक के एलसी - 40 में आरओबी के लिए 73 मी. स्पैन के बो स्ट्रिंग गर्डर की